परिशिष्ट–1.1

(संदर्भः कंडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़ें			
क्रम सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94,163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या 2019 के अनुसार		10.79 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसख्यां (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		33.70 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		61.80 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 33 प्रति 1,000 जन्म पर)		35
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 68.70 वर्ष)		68.70 वर्ष
8	2018–19 के चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) (₹ करोड़ में)		5,57,490
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी.[1] सी.ए.जी.आर.[2] (2011–12 से 2018–19)	बिहार	10.57
		सामान्य कोटि के राज्य	10.99
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2011–12 से 2018–19)	बिहार	12.32
		सामान्य कोटि के राज्य	12.23
11	जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)	बिहार	12.62
		सामान्य कोटि के राज्य	12.46

ब. वित्तीय आँकड़े						
क्रम सं.	विवरण		(आँकड़े प्रतिशत में)			
1	सी0ए0जी0आर0		2009–10 से 2017–18		2017–18 से 2018–19	
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	15.03	16.12	12.77	12.22
	ख	कर राजस्व का	14.84	14.04	12.72	27.11
	ग	गैर कर राजस्व का	9.88	9.71	19.78	17.79
	घ	कुल व्यय का	14.20	15.78	12.73	11.88
	ड	पूँजीगत व्यय का	13.53	18.71	11.93	(-)27.15
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.44	15.37	9.38	15.69
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	20.06	11.09	7.17
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	11.72	7.93	11.03	12.32
	झ	पेंशन का	16.12	16.14	14.31	12.16

स्रोतः (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.08.2019)।

[1] जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

[2] सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट–1.2

(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

भाग–कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचनाः सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III लोक लेखा: कुछ विशेष लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख:वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण को सामान्य समक्ष में आने वाली सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत करता है वहीं भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । **भाग I** में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलना दर्शाता है ।
विवरण संख्या 2	**प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होती है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है ।
विवरण संख्या 3	**प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 4	**व्यय की विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 5	**प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण** : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 6	**उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण** : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होती है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 7	**सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 8	**सरकार के निवेशों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होती है ।

परिशिष्ट 1.2 भाग–ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	**रूपरेखा**
विवरण संख्या 9	**सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण:** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 10	**सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/ प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्त्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है ।
विवरण संख्या 11	**दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण:**यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्षाने में सहायता करता है ।
विवरण संख्या 12	**राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होनी चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	**समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार:** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होती है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं–भाग–I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें ।	
विवरण संख्या 14	**लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 15	**लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होती है, राज्य सरकार की योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग–अलग दर्शाए जाते हैं।
विवरण संख्या 16	**लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण:**यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर–योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु षीर्श के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाती है।
विवरण संख्या 17	**उधार तथा अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राषि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करती है।
विवरण संख्या 18	**सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 19	**सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :**यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 20	**सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी सरकार द्वारा दी गयी गारंटियो का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होती है ।
विवरण संख्या 21	**आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खंण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होती हैं।
विवरण संख्या 22	**उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाती है ।

(स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

परिशिष्ट–1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2018–19 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2017-18			2018-19		2017-18		2018-19			
								स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
खण्डः अ राजस्व										
1,17,446.74	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**1,31,793.45**	**1,02,623.73**	**I**	**राजस्व व्यय**	**77,531.84**	**47,364.97**	**124,896.81**
23,136.49		कर राजस्व	29,408.14		**33,374.30**		**सामान्य सेवाएँ**	**38,405.60**	**285.42**	**38,691.02**
3,506.74		करेत्तर राजस्व	4,130.56		**45,769.47**		**सामाजिक सेवाएँ**	**19,937.09**	**38,347.22**	**58,284.31**
65,083.38		संघीय करों का राज्यांश	73,603.13		23,314.59		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	12,444.98	14,578.55	270,23.53
(-) 5.00		गैर योजना अनुदान	0.00		5,616.58		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,523.24	2,648.87	6,172.11
(-) 2.20		राज्य केन्द्रशासित प्रदेशों की योजना के लिए अनुदान	(-) 2.82		5,676.28		जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं शहरी विकास	1,822.57	12,098.86	13,921.43
(-) 1.00		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	0.00		130.82		सूचना एवं प्रसारण	109.59	77.69	187.28
13,312.26		केंद्रीय्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	16,322.72		950.60		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	182.87	1,981.52	2,164.39
4,525.06		वित्त आयोग अनुदान	4,775.20		320.40		श्रम एवं श्रम कल्याण	133.58	383.47	517.05
7,891.01		अन्य हस्तांतरण/ राज्य को अनुदान	3,556.52		9,685.22		समाज कल्याण एवं पोषाहार	1,642.39	6,578.74	8,221.13
					74.98		**अन्य**	77.87	(-) 0.48	77.39
					23,475.93		**आर्थिक सेवाएँ**	**1,9185.24**	**8,732.33**	**27,917.57**
					3,625.59		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1,050.52	2,585.29	3,635.81
					11,212.22		ग्रामीण विकास	7,452.30	3,903.70	11,356.00
					1,301.16		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,230.37	129.29	1,359.66
					4,304.66		ऊर्जा	6,359.27	563.76	6,923.03
					755.92		उद्योग एवं खनिज	235.13	605.25	840.38
					1,401.80		परिवहन	2,614.14	181.24	2,795.38
					874.58		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	243.51	763.80	1,007.31
					4.03		**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	**3.91**	**0.00**	**3.91**
					1,02,623.73		**कुल**			**1,24,896.81**
	II	**खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**			**14,823.01**	**II**	**खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			**6,896.64**

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2017-18			2018-19		2017-18		2018-19			
								स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
1,17,446.74		**कुल**		**1,31,793.45**	**1,17,446.74**		**कुल**			**1,31,793.45**
खण्ड ब अन्य										
17,062.20	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**22,081.56**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**28,906.95**	**IV**	**पूँजीगत परिव्यय**	**58.82**	**20,999.43**	**21,058.25**
					2,764.61		**सामान्य सेवाएँ**	**29.66**	**3,281.66**	**3,311.32**
					4,258.34		**सामाजिक सेवाएँ**	**15.31**	**4,045.91**	**4,061.22**
					1,518.70		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,056.22	1,056.22
					564.97		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	1,145.71	1,145.71
					1,932.54		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	15.31	1,701.27	1,716.58
					30.10		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	27.21	27.21
					103.74		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	73.51	73.51
					108.29		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	41.99	41.99
					21,884.00		**आर्थिक सेवाएँ**	**13.84**	**13,671.87**	**13,685.71**
					198.14		कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप	0.00	104.59	104.59
					6,387.66		ग्रामीण विकास	0.00	960.40	960.40
					0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
					2,665.49		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	2,046.00	2046.00
					6,931.11		ऊर्जा	0.00	5,035.36	5,035.36
					110.48		उद्योग एवं खनिज	13.84	83.86	97.70
					5,402.44		परिवहन	0.00	5,275.24	5275.24
					188.68		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	166.42	166.42
21.89	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		**1,825.40**	**242.78**	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**	**63.30**	**1407.26**	**1,470.56**
		विद्युत परियोजनाओं / अन्य से	330.25		224.35		विद्युत परियोजनाओं के लिए	41.12	115.26	156.38
		सरकारी सेवकों से	19.10		18.23		सरकारी सेवकों को	22.13	0.00	22.13

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2017-18			2018-19		2017-18		2018-19			
								स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
		अन्य से	1476.05		0.20		अन्य को	0.05	1292.00	1292.05
14,823.01	**VI**	**राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए**		**6,896.64**		**VI**	**राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए**			
13,169.42	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**18,668.20**	**4,653.55**	**VII**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**			**7,229.82**
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
11,770.77		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	16,134.42				अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			6,299.49
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन								
1,398.65		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,533.78				केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			930.33
		अंतर्राज्यीय समाशोधन					**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			
6,053.42	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**6,729.61**	**6,053.42**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**6,729.61**
	IX	**आकस्मिकता निधि को राशि का अंतरण**				**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			
57,107.24	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**68,259.14**	**46,298.92**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**67,135.02**
1.844.09		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	2,291.43				लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	2,013.64		
1,414.92		आरक्षित निधि	2,214.54				आरक्षित निधि	1,430.65		
805.73		उचंत एवं विविध	1,159.32				उचंत एवं विविध	1,504.44		
9,862.58		प्रेषण	11,697.63				प्रेषण	11,621.58		
43,179.92		जमा एवं अग्रिम	50,896.22				जमा एवं अग्रिम	50,564.71		
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट**			**22,081.56**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**20,837.31**
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
							रिजर्व बैंक के पास जमा	157.12		
							विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	993.17		
							रोकड़ शेष निवेश	19,687.02		
2,25,683.92		**योग**		**2,56,254.00**	**2,25,683.92**		**योग**			**2,56,254.00**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष, 2018–19)

परिशिष्ट–1.4

(संदर्भः कंडिका 1.2.4; पृष्ठ 6)

वर्ष 2018–19 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा(–)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/ घाटा (–)
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,58,051.41**	**1,31,793.45**	(-)26,257.96	(-)16.61
कर राजस्व	31,002.03	29,408.14	(-)1,593.89	(-)5.14
करेत्तर राजस्व	4,445.89	4,130.56	(-)315.33	(-)7.09
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	76,172.37	73,603.13	(-)2,569.24	(-)3.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	46,431.12	24,651.62	(-)21,779.50	(-)46.91
राजस्व व्यय	**1,36,739.67**	**1,24,896.81**	**(-)11,842.87**	**(-)8.66**
सामान्य सेवाएँ	**40,233.85**	**3,8691.02**	**(-)1,542.84**	**(-)3.83**
राज्य का अंग	1451.16	1,306.25	(-)144.91	(-)9.99
राजकोषीय सेवाएँ	1,081.64	855.49	(-)226.14	(-)20.91
ब्याज भुगतान एवं कर्ज परिशोधन	11,538.67	10,855.04	(-)683.63	(-)5.92
प्रशासनिक सेवाएँ	10,333.57	9,703.28	(-)630.31	(-)6.10
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	15,828.81	15,970.96	142.15	0.90
सामाजिक सेवाएँ	**66,921.56**	**58,284.31**	**(-)8,637.25**	**(-)12.91**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	32,252.33	27,023.53	(-)5,228.80	(-)16.21
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,456.20	6,172.11	(-)284.09	(-)4.40
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	16,263.07	13,921.43	(-)2,341.64	(-)14.40
सूचना एवं प्रसारण	233.15	187.28	(-)45.87	(-)19.67
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,934.99	2,164.39	(-)770.60	(-)26.26
श्रम एवं श्रम कल्याण	684.68	517.05	(-)167.63	(-)24.48
समाज कल्याण एवं पोषाहार	7,949.78	8,221.13	271.35	3.41
अन्य	147.36	77.39	(-)69.97	(-)47.48
आर्थिक सेवाएँ	**29,578.22**	**27,917.57**	**(-)1,660.65**	**(-)5.61**
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	4,934.79	3,635.81	(-)1,298.98	(-)26.32
ग्रामीण विकास	14,275.96	11,356.00	(-)2,919.96	(-)20.45
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,384.11	1,359.66	(-)24.45	(-)1.77
ऊर्जा	4,439.09	6,923.03	2,483.94	55.96
उद्योग एवं खनिज	861.91	840.38	(-)21.53	(-)2.50
परिवहन	2,319.85	2,795.38	475.53	20.50
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,362.51	1,007.31	(-)355.20	(-)26.07
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**6.04**	**3.91**	**(-)2.13**	**(-)35.26**
पूँजीगत व्यय	**32,416.87**	**2,1058.25**	**(-)11,358.62**	**(-)35.04**
सामान्य सेवाएँ	**3,295.19**	**3,311.32**	**16.13**	**0.49**
सामाजिक सेवाएँ	**5,179.49**	**4,061.22**	**(-)1,118.27**	**(-)21.59**
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,159.10	1,056.22	(-)102.88	(-)8.88
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,108.23	1,145.71	37.48	3.38
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2,500.08	1,716.58	(-)783.5	(-)31.34
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	35.50	27.21	(-)8.29	(-)23.35
समाज कल्याण एवं पोषाहार	376.58	73.51	(-)303.07	(-)80.48
अन्य	0.00	41.99	41.99	**0**
आर्थिक सेवाएँ	**23,942.20**	**13,685.71**	**(-)10,256.49**	**(-)42.84**
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	241.71	104.59	(-)137.12	(-)56.73
ग्रामीण विकास	9,798.98	960.40	(-)8,838.58	(-)90.20
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,610.32	2046.00	(-)564.32	(-)21.62
ऊर्जा	5,424.83	5,035.36	(-)389.47	(-)7.18
उद्योग एवं खनिज	74.10	97.70	23.60	31.85
परिवहन	5,535.94	5,275.24	(-)260.70	(-)4.71
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	256.32	166.42	(-)89.90	(-)35.07
राजस्व अधिशेष	**21,311.74**	**6,896.64**	**(-)14,415.10**	**(-)67.64**
राजकोषीय घाटा	**11,203.95**	**13,806.76**	**2,602.81**	**23.23**
प्राथमिक घाटा	**440.46**	**3,735.62**	**3,295.16**	**748.12**

(स्रोतः बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेखे, वर्ष 2018–19)

परिशिष्ट–1.5

(संदर्भः कंडिका 1.3.2; पृष्ठ 9)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**78,417**	**96,123**	**1,05,585**	**1,17,447**	**1,31,794**
(i) कर राजस्व	**20,750 (26)**	**25,449(26)**	**23,742(23)**	**23,137(20)**	**29,408(22)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,607 (41)	10,603(42)	11,873(50)	8,298(36)	6,584(23)
राज्य उत्पाद	3,217 (16)	3,142(12)	30(0)	(-)3.00(0)	(-)10(0)
वाहन पर कर	964 (5)	1,081(4)	1,257(5)	1,599(7)	2,086(7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,699 (13)	3,409(13)	2,982(13)	3,726(16)	4,189(14)
भू–राजस्व	277 (1)	695(3)	971(4)	779(3)	477(2)
माल एवं यात्री कर	4,451 (21)	6,087(24)	6,245(26)	1,645(7)	399(1)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	6,747(29)	15,288(52)
अन्य कर	535 (3)	432(2)	384(2)	346(2)	395(1)
(ii) करेत्तर राजस्व	**1,558 (2)**	**2,186(2)**	**2,403(2)**	**3,507(3)**	**4,131(3)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**36,963 (47)**	**48,923(51)**	**58,881(56)**	**65,083(55)**	**73,603(56)**
(iv) भारत सरकार से अनुदान	**19,146 (24)**	**19,565(21)**	**20,559(19)**	**25,720(22)**	**24,652(19)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,493**	**19**	**23**	**22**	**1,825**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**79,910**	**96,142**	**1,05,608**	**1,17,469**	**1,33,619**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**13,917**	**18,383**	**21,577**	**13,169**	**18,668**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	13,199	17,565	20,065	11,771	16,134
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	718	818	1,512	1,398	2,534
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**93,827**	**1,14,525**	**1,27,185**	**1,30,638**	**1,52,287**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**40,251**	**49,106**	**61,730**	**57,107**	**68,259**
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**1,34,078**	**1,63,631**	**1,88,915**	**1,87,745**	**2,20,546**
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**72,570**	**83,616**	**94,765**	**1,02,624**	**1,24,897**
योजना	25,511 (35)	29,651(35)	33,576(35)	35,951(35)	47,365(38)
स्थापना और प्रतिबद्ध	47,059 (65)	53,965(65)	61,189(65)	66,673(65)	77,532(62)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	26,408 (36)	27,972(33)	30,607(32)	33,374(32)	38,691(31)
सामाजिक सेवाएँ	31,713 (44)	35,943(43)	40,737(43)	45,770(45)	58,284(47)
आर्थिक सेवाएँ	14,445 (20)	19,697(24)	23,417(25)	23,476(33)	27,918(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	**18,150**	**23,966**	**27,208**	**28,907**	**21,058**
योजना	18,092 (99)	23,930(99)	27,192(100)	28866(100)	20,999(100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	58 (1)	36(1)	16(0)	41(0)	59(0)
सामान्य सेवाएँ	1,748 (10)	3,617(15)	2,090(8)	2,765(10)	3,311(16)
सामाजिक सेवाएँ	1,674 (9)	2,740(11)	3,592(13)	4,258(15)	4,061(19)
आर्थिक सेवाएँ	14,728 (81)	17,609(74)	21,526(79)	21,884(75)	13,686(65)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**369**	**621**	**114**	**243**	**1,470**
14. कुल (11+12+13)	**91,089**	**1,08,203**	**1,22,087**	**1,31,774**	**1,47,425**

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**3,609**	**4,125**	**4,215**	**4,653**	**7,230**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,975	3,423	3,461	3,841	6,300
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	634	702	754	812	930
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	**94,698**	**1,12,328**	**1,26,302**	**1,36,427**	**1,54,655**
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20. लोक लेखा संवितरण	**39,200**	**45,923**	**57,268**	**46,299**	**67,135**
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**1,33,898**	**1,58,251**	**1,83,570**	**1,82,726**	**2,21,790**
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	**5,847**	**12,507**	**10,820**	**14,823**	**6,897**
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+)(4-14)	**(-)11,179**	**(-)12,061**	**(-)16,479**	**(-)14,305**	**(-)13,807**
24. प्रारंभिक घाटा/प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	**(-)5,050**	**(-)4,963**	**(-)8,258**	**(-)5,251**	**(-)3,736**
खंड द अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**6,129**	**7,098**	**8,191**	**9,054**	**10,071**
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता इत्यादि	**22,359**	**26,426**	**36,209**	**43,359**	**51,764**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	**3,42,951**	**3,71,602**	**4,22,316**	**4,84,740**	**5,57,490**
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	**99,056**	**1,16,578**	**1,38,722**	**1,56,777**	**1,68,921**
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	**2,001**	**4,721**	**4,460**	**5,174**	**5,398**
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	**5,315**	**9,397**	**13,053**	**20,234**	**20,834**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**211**	**144**	**130**	**127**	**68**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**1,301**	**1,728**	**1,521**	**892**	**315**
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	6.05	6.85	5.62	4.77	5.28
करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.45	0.59	0.57	0.72	0.74
केंद्रीय अंतरण/जी.एस.डी.पी.	10.78	13.17	13.94	13.43	13.20
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	26.56	29.12	28.91	27.18	26.44
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	116.16	112.57	115.63	112.20	125.53
राजस्व व्यय/कुल व्यय	79.67	77.28	77.62	77.88	84.72
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	34.82	33.22	33.37	34.73	39.53
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	15.86	18.20	19.18	17.82	18.94
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	19.93	22.15	22.29	21.94	14.28
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	18.01	18.81	20.57	19.84	12.04
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य/जी.एस.डी.पी.	1.70	3.37	2.56	3.06	1.24
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	3.26	3.25	3.90	2.95	2.48
प्राथमिक घाटा/जी.एस.डी.पी.	1.47	1.34	1.96	1.08	0.67
राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा	52.30	103.70	65.66	103.62	49.95
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	28.88	31.37	32.85	32.34	30.30
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	126.32	121.28	131.38	133.49	128.17
राजकोषीय दायित्व/राज्य के स्व संसाधन	444.04	421.85	530.59	588.41	503.66

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों की कुल प्रतिशतता दर्शाते हैं।
@सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े
(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

परिशिष्ट–1.6

(संदर्भ: कंडिका 1.6.1; पृष्ठ 26)

31 मार्च 2019 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31/3/2018 तक	देयताएँ		31/3/2019 तक
1,04,524.76	**आंतरिक ऋण**		**1,14,359.68**
	ब्याज सहित बाजार ऋण	84,800.00	
	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.21	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	29,537.92	
10,181.92	**केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**11,785.37**
	1984–85से पूर्व ऋण	3.91	
	गैर–योजना ऋण	0.58	
	राज्य योजना के लिए ऋण	191.29	
	केंद्र योजना के लिए ऋण	1.01	
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0.53	
	योजनाओं के लिए अर्थोपाय अग्रिम	42.96	
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं	49.78	
	राज्यों के लिए अन्य ऋण	11,495.31	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
8,810.89	**लघु बचत, भविष्य निधि, आदि**		**9,088.69**
33,232.88	**जमा**		**33,661.25**
4,137.65	**आरक्षित निधि**		**4,921.55**
74.01	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**74.01**
71,784.89	**सरकारी लेखा में आधिक्य/अधिशेष**		**78,681.54**
	(i) घटावें/चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	6,896.65	
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	71,784.89	
2,33,097.00			**2,52,922.10**
	परिसम्पत्तियाँ		
1,84,117.17	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**2,05,175.42**
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	28,327.00	
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,76,848.42	
21,169.18	**ऋण एवं अग्रिम**		**20,814.34**
	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण		
	अन्य विकास ऋण		
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण		
1,196.41	**प्रेषण**		**1,120.36**
153.11	**अग्रिम**		**249.96**
4,379.57	**उचंत एवं विविध शेष**		**4,724.71**
22,081.56	**रोकड़**		**20,837.31**
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	रिजर्व बैंक में जमा	157.12	
	विभागीय रोकड़ शेष	234.65	
	स्थायी अग्रिम	758.52	
	उद्दिष्ट निधियों के सहित रोकड़ शेष निवेश	19,687.02	
2,33,097.00			**2,52,922.10**

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018–19)

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 32)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ)	राजस्व (दत्तमत्त)						
1.	1– कृषि विभाग	2,701.78	557.10	3,258.88	1,822.88	1,436.00	44.06
2.	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	718.51	216.97	935.48	687.44	248.04	26.51
3.	3–भवन निर्माण विभाग	766.93	9.16	776.09	583.53	192.56	24.81
4.	4–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	355.18	3.44	358.62	234.68	123.94	34.56
5.	9–सहकारिता विभाग	732.47	1,090.33	1,822.80	979.63	843.17	46.26
6.	11– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,512.01	43.02	1,555.03	1,212.31	342.72	22.04
7.	12– वित्त विभाग	270.39	30.05	300.44	195.69	104.75	34.87
8.	20–स्वास्थ्य विभाग	6,698.59	1,523.57	8,222.16	6,344.28	1,877.88	22.84
9.	21–शिक्षा विभाग	31,685.53	5,249.67	36,935.20	26,977.27	9,957.93	26.96
10.	25–सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	175.14	89.44	264.58	90.92	173.66	65.64
11.	26–श्रम संसाधन विभाग	721.97	4.15	726.12	550.89	175.23	24.13
12.	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	197.76	1.94	199.70	98.05	101.65	50.90
13.	33–सामान्य प्रशासन विभाग	639.96	81.71	721.67	499.73	221.94	30.75
14.	35–योजना एवं विकास विभाग	571.42	33.74	605.16	449.14	156.02	25.78
15.	39–आपदा प्रबंधन विभाग	675.15	4,143.85	4,819.00	1,642.28	3,176.72	65.92
16.	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.46	89.79	791.25	552.74	238.51	30.14
17.	41–पथ निर्माण विभाग	1,415.92	2.28	1,418.20	930.26	487.94	34.41
18.	42–ग्रामीण विकास विभाग	15,320.04	3,631.87	18,951.91	12,776.67	6,175.24	32.58
19.	44–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,382.44	82.19	1,464.63	1,022.92	441.71	30.16
20.	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	947.71	5,361.30	3,297.02	2,064.28	38.50
21.	51–समाज कल्याण विभाग	6,646.24	2,900.40	9,546.64	6,303.20	3,243.44	33.97
	कुल राजस्व	**78,302.48**	**20,732.38**	**99,034.86**	**67,251.53**	**31,783.33**	**32.09**
(ब)	पूँजीगत (दत्तमत्त)						
22.	3–भवन निर्माण विभाग	3,193.67	475.38	3,669.05	2,650.41	1,018.64	27.76
23.	9–सहकारिता विभाग	74.04	974.16	1,048.20	817.93	230.27	21.97
24.	20–स्वास्थ्य विभाग	1,095.22	520.16	1,615.38	1,134.01	481.37	29.80
25.	21–शिक्षा विभाग	440.10	107.35	547.45	423.57	123.88	22.63
26.	35–योजना एवं विकास विभाग	1,248.27	611.32	1,859.59	1,479.18	380.41	20.46
27.	37–ग्रामीण कार्य विभाग	9,305.97	1,000.00	10,305.97	2,951.29	7,354.68	71.36
28.	42–ग्रामीण विकास विभाग	151.01	0.00	151.01	2.33	148.68	98.46
29.	51–समाज कल्याण विभाग	193.58	15.70	209.28	43.31	165.97	79.31
	कुल पूँजीगत	**15,701.86**	**3,704.07**	**19,405.93**	**9,502.03**	**9,903.90**	**51.04**
	महायोग (अ+ब)	**94,004.34**	**24,436.45**	**1,18,440.79**	**76,753.56**	**41,687.23**	**35.20**

(स्रोतः वर्ष 2018–19 का विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–2.2

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 33)

कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1–कृषि विभाग	2,749.78	557.10	3,306.88	1,869.48	1,437.40	43.47
2.	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	718.51	226.97	945.48	693.77	251.71	26.62
3.	3–भवन निर्माण विभाग	3,960.60	484.54	4,445.14	3,233.94	1,211.20	27.25
4.	4–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	374.91	3.44	378.35	234.68	143.67	37.97
5.	8–कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	139.12	0.00	139.12	94.16	44.96	32.32
6.	9–सहकारिता विभाग	806.51	2,064.49	2,871.00	1,797.56	1,073.44	37.39
7.	11–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,524.51	43.02	1,567.53	1,215.25	352.28	22.47
8.	17–वाणिज्य –कर विभाग	154.64	1.07	155.71	113.89	41.82	26.86
9.	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,387.38	18.86	1,406.24	1,112.23	294.01	20.91
10.	20–स्वास्थ्य विभाग	7,793.81	2,043.73	9,837.54	7,478.29	2,359.25	23.98
11.	21–शिक्षा विभाग	32,125.63	5,357.02	37,482.65	27,400.84	10,081.81	26.90
12.	24–सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	235.09	0.00	235.09	188.05	47.04	20.01
13.	25–सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	235.14	161.27	396.41	172.75	223.66	56.42
14.	26–श्रम संसाधन विभाग	741.97	4.15	746.12	553.96	192.16	25.75
15.	29–खान एवं भूतत्व विभाग	51.44	14.36	65.80	43.92	21.88	33.25
16.	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	437.76	21.94	459.70	264.73	194.97	42.41
17.	33–सामान्य प्रशासन विभाग	646.15	83.13	729.28	507.19	222.09	30.45
18.	35–योजना एवं विकास विभाग	1,819.69	645.06	2,464.75	1,928.32	536.43	21.76
19.	37–ग्रामीण कार्य विभाग	10,508.54	1,000.80	11,509.34	3,955.79	7,553.55	65.63
20.	38–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	184.75	19.69	204.44	162.13	42.31	20.70
21.	39–आपदा प्रबंधन विभाग	677.15	4,143.85	4,821.00	1,642.28	3,178.72	65.93
22.	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	729.41	89.79	819.20	554.46	264.74	32.32
23.	42–ग्रामीण विकास विभाग	15,471.05	3,631.87	19,102.92	12,779.00	6,323.92	33.10
24.	43–विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	244.57	119.01	363.58	250.10	113.48	31.21
25.	44–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,386.44	82.19	1,468.63	1,022.92	445.71	30.35
26.	45–गन्ना उद्योग विभाग	122.90	128.21	251.11	169.45	81.66	32.52
27.	46–पर्यटन विभाग	153.46	15.30	168.76	73.79	94.97	56.28
28.	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	950.71	5,364.30	3,300.02	2,064.28	38.48
29.	51–समाज कल्याण विभाग	6,839.82	2,916.10	9,755.92	6,346.51	3,409.41	34.95
योग		**96,634.32**	**24,827.67**	**1,21,461.99**	**79,159.46**	**42,302.53**	**34.83**

(स्रोतः वर्ष 2018-19 का विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–2.3

(संदर्भः कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 33)

2014–15 से 2018–19 के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ एवं अधिक) प्रदर्शित करने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1–कृषि विभाग	1,590.88 *(44.10)*	1,652.10 *(48.66)*	1,214.66 *(42.22)*	1,150.72 *(41.01)*	1,436.00 *(44.06)*
2.	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	211.59 *(32.11)*	188.32 *(31.37)*	133.55 *(22.25)*	148.73 *(19.90)*	248.04 *(26.51)*
3.	9–सहकारिता विभाग	267.99 *(32.15)*	307.01 *(34.28)*	117.61 *(21.62)*	138.21 *(14.67)*	843.17 *(46.26)*
4.	12–वित्त विभाग	124.99 *(45.19)*	116.02 *(45.16)*	**100.83** *(38.82)*	119.66 *(44.64)*	104.75 *(34.86)*
5.	15–पेंशन	306.47 *(2.63)*	1,347.30 *(10.22)*	3,770.68 *(23.17)*	5,570.01 *(28.04)*	650.32 *(3.90)*
6.	16–पंचायती राज विभाग	2,334.24 *(49.57)*	2,572.10 *(47.06)*	919.67 *(12.45)*	607.76 *(6.64)*	1,836.67 *(17.93)*
7.	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	503.29 *(43.77)*	976.24 *(40.67)*	1,097.53 *(50.74)*	1,208.16 *(49.93)*	255.11 *(18.68)*
8.	20–स्वास्थ्य विभाग	914.11 *(21.60)*	964.06 *(21.44)*	3,350.96 *(41.37)*	1,427.99 *(19.99)*	1,877.89 *(22.84)*
9.	21–शिक्षा विभाग	8,534.72 *(34.32)*	5,813.90 *(23.77)*	3,837.45 *(16.77)*	7,703.21 *(24.50)*	**9,957.93** *(26.96)*
10.	22–गृह विभाग	1,002.61 *(16.18)*	622.85 *(10.09)*	970.47 *(13.55)*	866.99 *(11.77)*	724.29 *(8.10)*
11.	26–श्रम संसाधन विभाग	248.01 *(53.07)*	303.96 *(55.50)*	273.01 *(39.50)*	102.51 *(22.49)*	175.23 *(24.13)*
12.	27–विधि विभाग	179.09 *(26.60)*	146.64 *(22.14)*	289.30 *(34.98)*	204.74 *(25.14)*	153.84 *(16.66)*
13.	35–योजना एवं विकास विभाग	540.78 *(46.76)*	135.04 *(50.24)*	1,291.09 *(55.48)*	1,030.36 *(74.05)*	156.02 *(25.78)*
14.	37–ग्रामीण कार्य विभाग	839.93 *(74.86)*	422.07 *(29.96)*	432.17 *(27.33)*	228.19 *(14.39)*	198.87 *(16.53)*
15.	39–आपदा प्रबंधन विभाग	661.83 *(59.29)*	2,406.75 *(85.92)*	1,210.03 *(67.09)*	1,362.71 *(34.39)*	3,176.72 *(65.92)*
16.	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	224.14 *(31.73)*	238.37 *(32.74)*	363.65 *(44.40)*	306.85 *(35.34)*	238.51 *(30.14)*
17.	41–पथ निर्माण विभाग	359.65 *(28.57)*	117.63 *(11.39)*	222.55 *(17.66)*	476.18 *(35.81)*	487.94 *(34.41)*
18.	42–ग्रामीण विकास विभाग	3,599.42 *(53.52)*	3,554.04 *(50.18)*	4,468.35 *(43.48)*	5,166.39 *(49.82)*	6,175.24 *(32.58)*
19.	44–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	227.39 *(19.44)*	361.50 *(18.85)*	497.99 *(30.35)*	390.28 *(27.75)*	441.72 *(30.16)*

क्रम सं0	अनुदान सं0 तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	1,522.13 *(46.12)*	1,133.68 *(36.44)*	1,244.82 *(26.93)*	1,811.89 *(35.89)*	2,064.28 *(38.50)*
21.	51–समाज कल्याण विभाग	2,515.37 *(33.91)*	1,502.39 *(22.11)*	1,798.95 *(27.08)*	2,142.20 *(26.02)*	3,243.44 *(33.97)*
राजस्व (भारित)						
22.	13–ब्याज भुगतान	456.76 *(6.94)*	132.25 *(1.83)*	297.46 *(3.50)*	450.90 *(4.70)*	693.58 *(6.44)*
योग		**27,165.39**	**25,014.22**	**27,902.78**	**32,614.64**	**35,139.56**
पूँजीगत (दत्तमत)						
23.	3–भवन निर्माण विभाग	1,719.79 *(60.50)*	1,347.14 *(45.12)*	1,537.81 *(53.43)*	2,348.80 *(52.93)*	1,018.64 *(27.76)*
24.	10–ऊर्जा विभाग	2,323.07 *(34.45)*	1,207.86 *(29.16)*	5,330.74 *(47.83)*	130.74 *(1.79)*	623.36 *(10.72)*
25.	20–स्वास्थ्य विभाग	740.17 *(69.55)*	579.60 *(34.94)*	261.23 *(23.32)*	619.16 *(52.87)*	481.38 *(29.80)*
26.	41–पथ निर्माण विभाग	661.32 *(12.50)*	599.98 *(11.91)*	442.80 *(7.65)*	372.09 *(6.26)*	192.24 *(3.34)*
27.	49–जल संसाधन विभाग	1,262.62 *(50.27)*	251.54 *(14.48)*	511.32 *(23.38)*	1,405.44 *(35.54)*	179.43 *(5.89)*
योग		**6,706.97**	**3,986.12**	**8,083.90**	**4,876.23**	**2,495.05**
महायोग		**33,872.36**	**29,000.34**	**35,986.68**	**37,490.87**	**37,634.61**

(स्रोतः वर्ष 2014–15 से 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–2.4

(संदर्भः कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 33)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
(अ) राजस्व (भारित)					
1.	5–राज्यपाल सचिवालय	20.08	19.03	1.05	2.40
2.	13–ब्याज भुगतान	10,763.49	10,071.23	692.26	1.32
3.	15–पेंशन	12.41	1.58	10.83	1.06
4.	28–उच्च न्यायालय बिहार	155.27	152.05	3.22	9.15
योग राजस्व (भारित)		**10,951.25**	**10,243.89**	**707.36**	**13.93**
(ब) राजस्व (दत्तमत)					
5.	1–कृषि विभाग	2,701.78	1,822.88	878.90	557.10
6.	2–पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	718.51	687.44	31.07	216.97
7.	3–भवन निर्माण विभाग	766.93	583.53	183.40	9.16
8.	4–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	355.18	234.68	120.50	3.44
9.	7–निगरानी विभाग	36.74	32.70	4.04	1.25
10.	11–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,512.01	1,212.31	299.70	43.02
11.	12–वित्त विभाग	270.39	195.69	74.70	30.05
12.	16–पंचायती राज विभाग	9,954.40	8,408.50	1,545.90	290.77
13.	17–वाणिज्य –कर विभाग	154.64	113.89	40.75	1.07
14.	18–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,347.07	1,110.82	236.25	18.86
15.	19–पर्यावरण एवं वन विभाग	358.04	318.83	39.21	8.52
16.	20–स्वास्थ्य विभाग	6,698.59	6,344.28	354.31	1,523.57
17.	21–शिक्षा विभाग	31,685.53	26,977.27	4,708.26	5,249.67
18.	22–गृह विभाग	8,251.96	8,220.51	31.45	692.84
19.	25–सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	175.14	90.92	84.22	89.44
20.	26–श्रम संसाधन विभाग	721.97	550.89	171.08	4.15
21.	27–विधि विभाग	887.20	769.68	117.52	36.32
22.	29–खान एवं भूतत्व विभाग	51.44	30.08	21.36	0.52
23.	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	197.76	98.05	99.71	1.94
24.	32–विधानमंडल	175.25	170.03	5.22	7.72
25.	33–कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	639.96	499.73	140.23	81.71

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
26.	35–योजना एवं विकास विभाग	571.42	449.14	122.28	33.74
27.	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	906.92	884.55	22.37	13.00
28.	37–ग्रामीण कार्य विभाग	1,202.57	1,004.50	198.07	0.80
29.	38–निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	184.75	162.13	22.62	19.69
30.	40–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.46	552.74	148.72	89.79
31.	41–पथ निर्माण विभाग	1,415.92	930.26	485.66	2.28
32.	42–ग्रामीण विकास विभाग	15,320.04	12,776.67	2,543.37	3,631.87
33.	43–विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	150.57	141.21	9.36	34.51
34.	44–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,382.44	1,022.92	359.52	82.19
35.	46–पर्यटन विभाग	45.45	31.77	13.68	15.30
36.	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	4,413.59	3,297.02	1,116.57	947.71
37.	51–समाज कल्याण विभाग	6,646.24	6,303.20	343.04	2,900.40
योग राजस्व (दत्तमत)		**1,00,601.86**	**86,028.82**	**14,573.04**	**16,639.37**
योग राजस्व (अ+ब)		**1,11,553.11**	**96,272.71**	**15,280.40**	**16,653.30**
(स) पूँजीगत (दत्तमत)					
38.	3–भवन निर्माण विभाग	3,193.67	2,650.41	543.26	475.37
39.	19–पर्यावरण एवं वन विभाग	55.05	31.17	23.88	1.60
40.	21–शिक्षा विभाग	440.10	423.57	16.53	107.35
41.	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	240.00	166.68	73.32	20.00
42.	37–ग्रामीण कार्य विभाग	9,305.97	2,951.29	6,354.68	1,000.00
43.	51–समाज कल्याण विभाग	193.58	43.31	150.27	15.70
योग पूँजीगत (दत्तमत)		**13,428.37**	**6,266.43**	**7,161.94**	**1,620.02**
महायोग (अ+ब+स)		**1,24,981.48**	**1,02,539.14**	**22,442.34**	**18,273.32**

(स्रोतः वर्ष 2018-19 का विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 33)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	01	2401–00–109–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिगं सपोर्ट–नई योजना	284.63	0.50	169.78	115.22	0.13
2.		2401–00–789–0120–प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	26.16	0.80	5.29	21.63	0.04
3.	02	2403–00–101–0003–अस्पताल, औषद्यालय और अन्य स्थापना	114.53	2.33	103.25	13.47	0.14
4.		2403–00–789–0306–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	5.01	0.05	3.87	1.18	0.01
5.		2405–00–101–0104–तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	40.45	0.70	31.10	9.97	0.08
6.	03	2059–80–001–0004–निष्पादन	177.87	18.85	156.21	39.32	1.19
7.		4059–60–051–0106–स्टेडियम एवं खेल संरचना	110.00	40.00	109.82	14.35	25.83
8.	06	2015–00–102–0001–मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	32.26	2.74	27.73	7.13	0.14
9.	08	2204–00–104–0001–खेलकूद	10.72	0.81	9.29	2.12	0.12
10.	15	2071–01–104–0001–15–11–2000 के पूर्व सेवा निवृत हुए कर्मियों को अन्य उपादान का भुगतान	4.40	0.47	3.80	0.00	1.07
11.		2071–01–111–0004–विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय	0.74	0.31	0.73	0.05	0.27
12.	16	2515–00–003–0001–पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3.09	0.77	2.53	0.56	0.77
13.	19	2406–02–110–0323–एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	3.67	0.77	3.09	1.31	0.04
14.	20	2210–06–102–0001–खाद्य नियंत्रक स्थापना	3.51	0.23	2.88	0.71	0.15
15.		2210–06–104–0001–औषध नियंत्रण स्थापना	14.93	1.89	14.47	1.14	1.21
16.	21	2202–80–001–0002–राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.63	0.02	0.41	0.67	0.57
17.	22	2051–00–103–0003–बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग	20.01	1.13	19.74	1.10	0.30
18.		2052–00–090–0006–गृह (आरक्षी) विभाग	7.35	0.23	7.05	0.51	0.02
19.		2055–00–003–0002–प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर	17.33	0.87	14.33	0.00	3.87

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.		2055–00–101–0001–आपराधिक जाँच विभाग	229.34	8.02	225.24	0.00	12.12
21.		2055–00–104–0004–आतंकवाद निरोधक दस्ता	17.28	0.12	16.44	0.90	0.06
22.		2235–02–106–0002–परिवीक्षा सेवाएं	12.36	0.48	11.47	0.00	1.37
23.	26	2230–01–001–0001–श्रमायुक्त	7.19	0.15	5.48	1.82	0.04
24.	27	2014–00–105–0001–सिविल और सत्र न्यायालय	669.50	0.50	632.88	36.86	0.26
25.	33	2053–00–101–0001–मुख्य कार्यालय	25.95	1.44	22.48	4.74	0.17
26.	39	2245–80–102–0004–राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स	17.26	5.52	12.67	10.10	0.01
27.	43	2203–00–105–0106–प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	4.20	0.98	3.74	1.41	0.03
28.	49	4700–80–051–0105–सिंचाई सृजन परियोजना (कार्य)	508.12	1.14	507.38	0.05	1.83
29.	50	4702–00–102–0102–नई/अधूरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	49.80	4.26	49.43	0.37	4.26
30.		4702–00–789–0104–नई/अधूरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	9.60	0.82	9.21	0.24	0.97
31.		4702–00–796–0105–नई/अधूरी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	0.60	0.05	0.49	0.11	0.05
योग			**2,429.49**	**96.95**	**2,182.28**	**287.04**	**57.12**

(स्रोतः 2018-19 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.6

(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 33)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	03	2059–80–052–0001–नई पूर्ति एंव मरम्मति	1.72	2.25	1.97	0.00	2.00
2.	12	7610–00–201–0001–सरकारी सेवकों को गृह–निर्माण अग्रिम	18.00	1.75	18.95	0.03	0.77
3.	13	2049–04–112–0001–बाह्य संपोषित स्कीमों पर लिए गए कर्ज पर ब्याज	160.00	125.00	238.08	0.00	46.92
4.	15	2071–01–102–0002–15–11–2000 के पूर्व सेवा निवृत हुए कर्मियों को रूपांतरित मूल्य का भुगतान	4.75	4.12	8.66	0.00	0.21
5.		2071–01–105–0001–15–11–2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन	36.38	49.72	58.62	0.00	27.48
6.	20	2210–01–110–0011–संक्रामक रोग अस्पताल पटना	2.87	0.55	3.05	0.33	0.04
7.		2210–05–105–0022–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी	27.11	9.56	29.46	4.34	2.87
8.		2210–06–001–0001–अधिक्षण	12.59	2.17	13.21	0.90	0.65
9.	22	2055–00–001–0001–अधिक्षण	45.64	18.33	48.64	0.00	15.33
10.		2055–00–003–0008–प्रशिक्षण विद्यालय डुमरॉव	7.16	0.75	7.45	0.00	0.46
11.		2055–00–109–0012–थानों के लिए व्यय	1.00	0.50	1.16	0.33	0.01
12.		2056–00–101–0002–जिला जेल	161.45	41.40	190.39	0.00	12.46
13.	32	2011–02–103–0001–विधान सभा सचिवालय	41.83	3.65	42.29	3.14	0.05
14.	39	2245–702–101–0016–राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	129.30	5.00	129.71	4.41	0.18
योग			**649.80**	**264.75**	**791.64**	**13.48**	**109.43**

(स्रोतः 2018–19 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भः कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 34)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (–)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	02	2403–00–101–0101–अस्पताल औषद्यालय तथा अन्यान्य स्थापना	71.77	0.05	63.11	8.55	0.06
2.		2403–00–102–0006–पशु प्रजनन एवं विकास योजना	52.31	0.19	49.05	3.02	0.05
3.		2403–00–103–0003–रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	6.10	0.12	5.57	0.00	0.41
4.		2403–00–113–0001–राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना	12.53	2.00	8.59	1.92	0.02
5.	03	2059–80–051–0001–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9.70	1.24	1.53	0.00	6.93
6.		2059–80–053–0001–रख–रखाव और मरम्मत	325.00	21.40	230.25	0.00	73.35
7.		4059–60–051–0107–सांस्कृतिक संरचना	167.56	40.00	97.40	27.37	2.79
8.		4216–01–700–0003–लोक निर्माण	23.10	0.27	15.22	7.58	0.03
9.	06	2015–00–103–0001–विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	65.05	12.74	49.35	2.60	0.36
10.	08	2204–00–101–0001–शारीरिक शिक्षा	4.14	0.01	3.11	1.00	0.02
11.		2205–00–103–0001–पुरातत्व निदेशालय	5.70	0.44	2.68	2.52	0.06
12.	11	2225–03–277–0010–पिछड़ी जातियों के लिए बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	13.33	0.05	11.03	1.82	0.43
13.	13	2049–01–101–0001–बिहार राज्य विकास ऋण (ब्याज सहित)	6,618.00	131.53	6,086.44	0.00	400.03
14.	14	6004–09–101–0001–1989–90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज	635.30	4.27	537.43	0.00	93.60
15.	16	2015–00–101–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	3.47	0.01	3.03	0.41	0.02
16.		2515–00–196–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अनुदान	575.36	37.63	532.42	3.00	2.31
17.	19	2406–04–101–0203–राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	6.90	1.15	1.38	3.92	0.45
18.		2406–04–101–0303–राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	4.60	0.77	1.07	2.64	0.12

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (–)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	20	2210–01–110–0002–दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	105.94	0.16	95.53	6.83	3.42
20.		2210–01–110–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	577.92	2.12	474.64	54.30	46.86
21.		2210–03–101–0003–स्वास्थ्य उपकेंद्र	46.59	0.55	36.59	3.68	5.77
22.		2210–03–103–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1,165.88	2.17	1,038.72	34.42	90.57
23.		2210–05–105–0005–नालंदा मेडिकल कॉलेज	66.95	0.40	60.07	6.41	0.07
24.		2210–05–105–0007–मगध मेडिकल कॉलेज	48.62	9.96	36.84	1.35	0.47
25.		2210–05–105–0009–दन्त महाविद्यालय, पटना	12.09	1.00	9.31	1.77	0.01
26.		2210–05–105–0012–प्रशिक्षण नर्स	16.84	0.29	11.34	0.00	5.21
27.		2210–05–105–0023–राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया	37.68	1.00	30.78	4.60	1.30
28.	21	2202–01–101–0001–राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	4,049.35	0.50	3,879.77	160.41	8.67
29.	22	2052–00–090–0002–गृह (विशेष) विभाग	15.00	0.03	12.15	2.81	0.01
30.		2055–00–104–0002–पैदल सैन्य पुलिस	1,094.14	31.16	1,018.60	0.00	44.38
31.		2055–00–109–0004–उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	7.00	1.59	0.75	0.00	4.66
32.		2055–00–109–0006–उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ0पी0 के सुदृढ़ीकरण हेतु (एस0आर0ई0) स्कीम के तहत	10.00	2.33	2.38	5.18	0.11
33.		2055–00–110–0001–चौकीदार–दफादार स्थापना	915.26	38.94	723.12	0.00	153.20
34.		2055–00–111–0002–आर्डर पुलिस	216.33	21.89	185.65	0.00	8.79
35.		2055–00–113–0004–उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्त्ति)	8.50	1.13	1.27	0.00	6.10
36.		2070–00–107–0001–ग्रामीण	513.50	0.18	494.87	0.00	18.45
37.	25	2852–07–202–0014–ई–शासन योजना	30.00	0.09	10.28	19.55	0.08
38.	27	2014–00–105–0008–त्वरित न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	67.69	2.00	8.26	57.36	0.07
39.	30	2053–00–094–0010–अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय	13.74	0.73	9.22	3.63	0.16
40.	32	2011–02–102–0006–सदस्यगण	18.68	0.10	17.82	0.69	0.07

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (–)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41.	39	2245–01–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति	5.00	1.04	0.02	3.76	0.18
42.		2245–80–102–0005–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	27.15	3.66	2.60	20.26	0.63
43.	41	5054–03–101–0101–पुल	375.07	1.39	348.67	19.09	5.92
44.	43	2203–00–001–0001–तकनीकी शिक्षा निदेशालय	4.35	0.62	3.59	0.13	0.01
45.		2203–00–102–0001–पटना विश्वविद्यालय	4.25	0.89	3.32	0.00	0.04
46.	49	4700–80–005–0101–सर्वेक्षण और खोज (स्थापना)	10.00	1.14	3.05	0.19	5.62
47.	50	2702–03–101–0002–अन्य रखरखाव व्यय	1.00	0.25	0.06	0.66	0.03
48.		2702–03–102–0005–अन्य रखरखाव व्यय	1.00	0.25	0.12	0.62	0.01
49.		2702–03–103–0007–अन्य रखरखाव व्यय	10.00	2.50	4.48	2.31	0.71
योग			**18,075.44**	**383.93**	**16,222.53**	**476.36**	**992.62**

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के विस्तृत विनियोग लेखे सहित अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 34)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹100 करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	01	2401–00–105–0106–जैविक खेती का उन्नयन	186.75	7.42	179.33	0.00	96.03
2.	09	2401–00–110–0112–बिहार राज्य फसल सहायता योजना	900.00	318.23	581.77	0.00	64.64
3.		2425–00–108–0419–प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयत्र बैंक की स्थापना	187.50	0.00	187.50	0.00	100.00
4.		6425–00–108–0419–प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयत्र बैंक की स्थापना	187.50	0.00	187.50	0.00	100.00
5.	10	6801–00–190–0015–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गए ऋण के सूद भुगतान हेतू)	147.35	13.83	133.52	0.00	90.61
6.	16	2515–00–198–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना	1,532.93	716.72	816.21	0.00	53.25
7.		2515–00–789–0112–मुख्यमंत्री निश्चय योजना	364.33	170.32	194.01	0.00	53.25
8.	20	2211–00–101–0305–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	364.72	169.43	195.25	0.04	53.53
9.		2211–00–103–0102–मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	280.00	27.88	252.04	0.08	90.01
10.		2235–60–110–0204–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	105.00	0.00	105.00	0.00	100.00
11.		4210–03–050–0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	323.16	121.00	202.16	0.00	62.56
12.		4210–03–105–0112–ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	365.00	125.00	240.00	0.00	65.75
13.	21	2202–01–109–0101–मुख्यमंत्री पोशाक योजना	250.00	42.32	207.68	0.00	83.07
14.		2202–01–111–0201–सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	5,106.53	2,281.40	2,825.13	0.00	55.32

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.		2202–01–789–0203–सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	1,493.47	575.86	917.61	0.00	61.44
16.		2202–01–789–0308–सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	1,009.41	406.30	603.11	0.00	59.75
17.		2202–01–796–0309–सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	190.59	25.84	164.75	0.00	86.44
18.		2202–02–110–0311–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0)	156.67	0.00	128.67	28.00	82.13
19.		2202–03–104–0003–वित्त संपोषित महाविद्यालय	312.20	0.00	312.08	0.12	99.96
20.		2202–03–107–0109–मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना	300.00	9.15	256.49	34.36	85.50
21.		2202–03–112–0101–बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना	148.00	3.00	145.00	0.00	97.97
22.	35	4070–00–051–0109–योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	108.19	0.55	107.64	0.00	99.49
23.		4515–00–101–0105–पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)	200.00	35.53	164.47	0.00	82.23
24.	37	4515–00–103–0113–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	700.00	200.00	500.00	0.00	71.43
25.		4515–00–103–0119–ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	1,035.64	0.00	1,035.64	0.00	100.00
26.		4515–00–103–0216–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	4,085.66	100.00	3,985.66	0.00	97.55
27.		4515–00–103–0316–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00
28.		4515–00–103–0519–मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन०डी०बी०) (ब्रिक्स बैंक संपोषित)	601.00	101.00	500.00	0.00	83.19
29.	39	2245–02–101–0001–निःसहायों एवं विकलांगों को नगद भुगतान	631.53	2.03	629.50	0.00	99.68
30.		2245–02–101–0002–खद्यान्न की आपूर्ति	641.53	7.39	634.14	0.00	98.85
31.		2245–02–106–0001–क्षतिग्रस्त सड़को–पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन	400.01	0.00	400.01	0.00	100.00
32.		2245–02–114–0001–कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	540.81	18.63	522.18	0.00	96.56

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.		2245–02–122–0001–क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती	575.00	203.63	370.87	0.50	64.50
34.	42	2203–00–112–0106–डेवलपमेंट मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूट	228.23	100.83	124.25	3.15	54.44
35.		2215–02–796–0206–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	181.23	29.69	151.54	0.00	83.62
36.		2216–03–105–0104–इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	134.94	33.73	101.21	0.00	75.00
37.		2216–03–105–0202–इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	4,463.37	2,019.35	2,444.02	0.00	54.76
38.		2505–02–101–0201–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1,763.98	718.42	1,045.56	0.00	59.27
39.		4515–00–103–0102–प्रखंड लघु निर्माण कार्य	151.00	2.33	148.67	0.00	98.46
40.	48	2217–03–051–0202–शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत)	480.00	158.81	321.19	0.00	66.91
41.		2217–03–051–0203–सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	275.00	32.59	242.41	0.00	88.15
42.	51	2235–02–102–0224–किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	289.01	6.86	282.15	0.00	97.63
43.		2235–02–102–0225–राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई0एस0एस0 एन0आई0पी0 सहित)	173.81	60.04	113.69	0.08	65.41
44.		2235–03–789–0301–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	448.50	190.59	257.91	0.00	57.51
45.		2236–02–789–0204–एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	568.60	130.58	438.01	0.01	77.03
46.		4235–02–102–0208–एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0)	181.42	20.89	160.45	0.08	88.44
		योग	**33,969.57**	**9,187.17**	**24,715.98**	**66.42**	**72.76**

(स्रोतः वर्ष 2018–19 के विस्तृत विनियोग लेखे सहित अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 34)

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	2401–00–001–0102–कार्यालय का कम्प्यूटरिकरण	1.00
2		2401–00–104–0205–परम्परागत कृषि विकास योजना	14.38
3		2401–00–104–0305–परम्परागत कृषि विकास योजना	9.59
4		2401–00–789–0241–परम्परागत कृषि विकास योजना	2.77
5		2401–00–789–0341–परम्परागत कृषि विकास योजना	1.85
6		2401–00–796–0263–परम्परागत कृषि विकास योजना	0.17
7		2401–00–796–0363–परम्परागत कृषि विकास योजना	0.12
8		2402–00–102–0114–नाबार्ड पोषित जल संभर विकास परियोजना	8.30
9		2402–00–789–0103–नाबार्ड पोषित जल संभर विकास परियोजना	1.60
10		2402–00–796–0110–नाबार्ड पोषित जल संभर विकास परियोजना	0.10
11		2402–00–796–0209–एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.48
12		2402–00–796–0309–एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.32
13		2415–01–277–0312–कौशल विकास मिशन	9.96
14		2415–01–789–0308–कौशल विकास मिशन	1.92
15		2415–01–796–0309–कौशल विकास मिशन	0.12
16		2435–60–101–0101–कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	4.15
17		2435–60–789–0101–कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0.80
18	02	2403–00–796–0226–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.32
19		2403–00–796–0326–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.21
20		2405–00–101–0219–नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन	41.00
21	03	2059–01–053–0104–गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	2.00
22		2059–01–053–0105–गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	2.00
23		2059–01–053–0118–वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.50
24		2216–01–053–0002–अन्य रख–रखाव व्यय–ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भवनों हेतु	2.50
25		3053–02–102–0001–हवाई अड्डे	0.55
26		4059–60–051–0017–वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए–डी–आर–केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग)	5.39
27		4059–60–051–0120–व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 कोर्ट भवन, पटना	0.10

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
28		4059–60–051–0425–स्वच्छ दृष्टि कार्य योजना अन्तर्गत स्वच्छ उपभोक्ता मंच	0.16
29		4059–60–789–0305–कौशल विकास योजना	0.90
30		4059–60–796–0302–कौशल विकास योजना	0.30
31		4059–80–004–0001–निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.11
32		4059–80–051–0001–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	0.10
33		4059–80–051–0002–लघु निर्माण	0.10
34		4059–80–051–0110–न्यायिक भवन (भवन निर्माण विभाग)	1.00
35		4059–80–051–0119–सरकारी भूमि की घेराबंदी	0.40
36		4059–80–051–0122–आई0 टी0 भवन	20.00
37		4210–03–105–0116–मेडिकल कॉलेज	2.00
38		4216–01–700–0102–न्यायिक आवासीय भवनें	1.00
39		4225–04–051–0103–अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	5.00
40		4225–80–051–0104– अलपसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	2.00
41		4408–02–051–0101–जिला आपूर्ति श्रृखला प्रबंधन केन्द्र	6.90
42		4408–02–101–0102–खाद्यान भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	34.66
43		5452–01–101–0103–पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	46.41
44	06	2015–00–103–0002–विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	0.06
45	08	2205–00–190–0001–बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.25
46		2205–00–190–0101–बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1.50
47	09	2425–00–003–0102–विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के हेतु अनुदान	1.00
48		2425–00–003–0103–सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं बनाने हेतु	1.00
49		2425–00–107–0105–मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	5.27
50		2425–00–108–0107–समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	3.78
51		2425–00–108–0419–प्राथमिक कृषि साख समितियों में कृषि संयत्र बैंक की स्थापना	187.50
52		6425–00–108–0419–सहकारिता को ऋण–अन्य सहकारी समितियों को ऋण	187.50
53	10	2801–02–190–0001–बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0	61.86
54		6801–00–201–0105–बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	5.80
55	11	2225–03–277–0212– अन्य पिछड़े वर्गों, अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	1.60
56		2225–03–277–0312–अन्य पिछड़े वर्गों, अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	0.53
57		4225–03–277–0202–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	6.00
58		4225–03–277–0302–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ0बी0सी0 छात्रावास निर्माण हेतु)	1.50

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
59	12	2070–00–800–0008–विविध एवं आकस्मिक खर्च	1.50
60		4058–00–103–0102–सरकारी प्रेस गया के आधुनिकीकरण की योजना	0.50
61		7610–00–202–0002–सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल (खरीदने के लिए अग्रिम)	1.00
62	16	2515–00–198–0215– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए0)	53.67
63		2515–00–003–0304–राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	10.00
64		2515–00–198–0315–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए0)	40.78
65		2515–00–789–0214–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए0)	10.31
66		2515–00–789–0314–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए0)	6.87
67		2515–00–796–0220–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए0)	0.83
68		2515–00–796–0320–राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर0जी0एस0ए0)	0.55
69		4515–00–101–0108– पंचायत सरकारी भवन	1.00
70	17	2040–00–101–0002–भामाशाह सम्मान योजना	0.10
71	18	3456–00–053–0001–गोदामों की मरम्मति	2.00
72		3456–00–102–0015–गोदामों की देखभाल तथा मरम्मति	2.00
73		3456–00–102–0411–उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.30
74		3456–00–102–0413–जन वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.34
75		3456–00–191–0101–निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	1.50
76		5475–00–051–0102–खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.83
77		5475–00–051–0103–जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण	28.48
78	19	2406–04–101–0201–राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	5.91
79		2406–04–101–0301– राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	3.94
80	20	2210–01–110–0019–रोगी कल्याण समितियों हेतु	2.00
81		2210–01–110–0224–रिजनल जेरिएट्रिक सेन्टर (बुजुर्गो के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.53
82		2210–02–200–0202–औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47
83		2210–02–200–0302–औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	4.78
84		2210–04–200–0203–औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98
85		2210–04–200–0303–औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	5.00
86		2210–05–105–0015–शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	1.00
87		2210–05–105–0016–नामांकन पर्यवेक्षण समिति	1.00
88		2210–05–200–0101–इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	1.01

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
89		2211–00–004–0302–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.11
90		2235–60–110–0204–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	105.00
91		2235–60–110–0304–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	21.99
92		4210–01–051–0103–जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	5.00
93		4210–01–110–0219–रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर	2.60
94		4210–01–110–0319–रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गो के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	1.65
95	21	2202–01–001–0101–प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	0.20
96		2202–01–001–0105–शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	5.00
97		2202–01–053–0001–प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धारण	1.00
98		2202–01–111–0101–सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0)	55.00
99		2202–02–001–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	6.40
100		2202–02–052–0002–माध्यमिक विद्यालयों मे खेलकूद सुविधाओं हेतु	1.00
101		2202–02–109–0105–आई0सी0टी0 परियोजना	1.00
102		2202–02–110–0110–आई0सी0टी0 परियोजना	4.00
103		2202–02–800–0001–सैनिक विद्यालय तिलैया	0.22
104		2202–03–102–0117–राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	1.50
105		2202–04–200–0203–अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	1.00
106		2202–04–200–0204–राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर भारत	0.15
107		2202–04–200–0303–अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	0.42
108		2202–80–004–0106–ए0 एन0 सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना	0.25
109		2205–00–105–0003–श्री कृष्ण सेवासदन, मुंगेर, सहायक अनुदान	0.26
110		2205–00–105–0011–राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान	0.45
111		4202–01–203–0106–राजकीय महिला महाविद्यालय	0.10
112	22	2055–00–109–0009–एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में वाहनों/हेलीकॉप्टरों/संचार संसाधन का किराया (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.70
113		2055–00–115–0303–पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	65.00
114		2055–00–115–0404–निर्भया (नेशन वाईड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम)	12.30
115		2056–00–003–0001–राज्य के कारा पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.10
116		2070–00–107–0004–होमगार्ड के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	2.00
117		2235–01–202–0004–आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	0.15

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
118	23	2851–00–789–0104–हस्तकरघा विकास की योजना	2.00
119		2851–00–789–0105–रेशम का विकास हेतु पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	3.60
120		2851–00–789–0109–अनुसुचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	11.60
121		2851–00–796–0102–बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0.20
122		2851–00–796–0106–रेशम का विकास	0.25
123		4851–00–190–0102–भेनचर कैपिटल में निवेश	0.10
124		4851–00–190–0103–बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड)	10.00
125	24	2220–60–103–0002–बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.07
126		2220–60–106–0106–बिहार संवाद समिति	5.00
127		2235–60–110–0103–बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना	0.50
128		2235–60–200–0115–पत्रकार पेंशन योजना	0.30
129	25	2852–07–202–0113–निश्चय–विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई फाई	52.00
130		4959–02–051–0101–राज्य डाटा केन्द्र	25.00
131	26	2230–01–112–0101–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	0.14
132		2230–01–112–0201–बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	1.20
133		2230–02–101–0113–निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता	0.39
134		2230–02–101–0115–राज्य के नियोजनालय को जन–निजी भागीदारी में संचालन	4.12
135		2230–02–101–0116–प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	0.60
136	27	2014–00–105–0007–अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.50
137		2014–00–114–0105–बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	0.10
138		2014–00–117–0002–परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	2.30
139	30	2202–02–107–0210–अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1.00
140		2250–00–003–0101–अल्पसंख्यक वर्गों के कामगारों को प्रशिक्षण	8.00
141		2250–00–101–0101–मुस्लिम परित्यक्ता के सहायता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु	2.00
142		2250–00–800–0107–वक्फ सम्पत्ति के रख–रखाव, सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु	10.00
143		4225–04–277–0102–अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना	1.00
144	33	2052–00–090–0041–अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	2.59

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
145	35	2059–01–053–0024–मेला, हाट, बाजार और कचहरी भवन का संधारण	2.00
146		2235–01–796–0505–कोसी बाढ़ आपदा पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	0.83
147		2235–01–796–0501– कोसी बाढ़ आपदा पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	0.16
148		3451–00–101–0101–बिहार राज्य योजना बोर्ड	2.00
149		3454–02–204–0120–भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	1.00
150		3454–02–204–0422–भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	14.24
151		3454–02–205–0406–राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण)	0.43
152		3454–02–789–0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना	6.88
153		3454–02–796–0103–समग्र सांख्यिकी विकास योजना	0.43
154		3475–00–004–0101–मुख्यमंत्री नवप्रवर्त्तन प्रोत्साहन योजना	1.00
155		4515–00–102–0303–एल0 डब्लयू0 ई0 जिलों के लिए ए0सी0ए0	1.00
156	36	4215–01–102–0116–ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	27.34
157	37	4515–00–103–0119–ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना	1,035.64
158		4515–00–103–0316–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	1,200.00
159		4515–00–796–0109–मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	94.96
160	38	2039–00–001–0007–उत्पाद दुकानों की बन्दी के लिए मुआवजा	0.20
161	39	2245–01–101–0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.08
162		2245–01–101–0005–अन्य कार्य	0.50
163		2245–01–104–0001–चारे की पूर्ति	0.50
164		2245–01–105–0001–पशुओं के लिए दवा	0.10
165		2245–02–101–0014–शीतलहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद दान	0.10
166		2245–02–102–0001–पेयजल की पूर्ति	1.00
167		2245–02–105–0001–पशुओं के लिए दवा	0.50
168		2245–02–106–0001–क्षतिग्रस्त सड़कों –पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यस्थापन	400.01
169		2245–02–113–0003–अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति / पुनर्निर्माण	1.00
170		2245–02–117–0001–बाढ़ / सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	1.00
171		2245–02–800–0007–गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन तथा हथालन पर होने वाले व्यय	0.39
172		2245–06–101–0001–मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.20
173		2245–80–001–0204–राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	1.32
174		2245–80–800–0003–बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	0.15

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
175		4250–00–051–0104–वेयर हाउस	2.00
176	40	2029–00–103–0206–राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0)	96.60
177		2029–00–104–0004–जमींदारी उन्मूलन बन्धपत्र	0.42
178		4047–00–050–0107–पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	0.15
179		4047–00–796–0101–गृह विहीनों के लिए वास भूमि	1.62
180	42	2216–03–105–0106–मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.25
181		2216–03–789–0103–मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.50
182		2501–01–001–0104–बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग	2.00
183		3454–02–206–0102–विशिष्ट पहचान योजना (यू0आई0डी0)	20.20
184	43	2203–00–003–0101–प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.36
185	44	2070–00–001–0106–अम्बेदकर फाउण्डेशन	0.50
186		2225–01–001–0003–राज्य अनुसूचित जाति आयोग	1.21
187		2225–01–102–0101–परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.50
188		2225–01–197–0001–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.15
189		2225–01–197–0002–छात्रवृत्ति /वजीफा	0.15
190		2225–01–198–0001–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.50
191		2225–01–277–0007–प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	2.00
192		2225–01–793–0401–अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	50.00
193		2225–02–001–0001–राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	0.84
194		2225–02–102–0201–अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	18.00
195		2225–02–102–0202–अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00
196		2225–02–277–0216–पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति	3.00
197		2225–02–796–0125–थरूहट क्षेत्र विकास	27.61
198		2225–02–796–0228–विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूहों के विकास	3.00
199		4425–00–108–0164–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	4.00
200	46	3452–80–003–0101–बिहार कौशल विकास मिशन	10.00
201	47	5055–00–051–0103–वे ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा)	6.00
202	48	2215–01–789–0103–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	5.00
203		2215–01–796–0103–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	2.00
204		2215–02–789–0303–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी0पी0)	10.00
205		2215–02–796–0305–राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन0आर0सी0पी0)	5.00
206		2217–01–001–0002–पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	1.35
207		2217–01–053–0001–बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	5.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
208		2217–01–191–0106–नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ते हेतु	0.29
209		2217–01–191–0115–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	23.00
210		2217–01–789–0102–परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	27.00
211		2217–01–789–0205–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	36.00
212		2217–01–789–0305–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	36.40
213		2217–01–796–0201–सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	1.50
214		2217–05–001–0101–ई0 गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	2.00
215		2217–05–001–0102–योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु	1.00
216		2217–05–001–0107–शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	2.00
217	49	2711–01–001–0506–बाढ़ प्रबंधन क्षमता सुदृढ़ीकरण योजना (एस0ए0डब्लू0आई0 ट्रस्ट फंड बाह्य संपोषित)	0.75
218	50	2702–02–789–0102–सर्वे और जाँच	0.64
219		4702–00–796–0206–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	1.00
220		4702–00–796–0306–प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	0.10
221	51	2235–02–102–0226–राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.60
222		2235–02–102–0326–राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.30
223		2235–02–103–0219–इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	52.29
224		2235–02–103–0227–महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण उज्जवला स्कीम	1.68
225		2235–02–103–0229–स्वधार गृह योजना	3.99
226		2235–02–103–0319–इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	15.35
227		2235–02–103–0327–महिलाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण उज्जवला स्कीम	0.84
228		2235–02–103–0329–स्वधार गृह योजना	2.66
229		2235–02–200–0106–प्रदर्शनी, सेमिनार और सम्मेलन	0.20
230		2235–02–789–0313–इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	11.44
231		2235–60–200–0119–मुख्यमंत्री तेजाब पीड़ित समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2.00
232		4235–02–102–0106–पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.10
योग			**4,686.68**

(स्रोतः अनुदान अंकेक्षण पंजी, 2018–19)

परिशिष्ट–2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 35)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03–भवन निर्माण विभाग	2059	177.11	51.43	125.68	70.96
2	04–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	3053	3.02	0.00	3.02	100.00
3		5053	19.73	0.00	19.73	100.00
4	05–राज्यपाल सचिवालय	2012	3.44	0.09	3.35	97.38
5	12–वित्त विभाग	2054	83.50	51.20	32.30	38.68
6		2070	4.15	1.50	2.65	63.86
7	30–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250	60.00	50.00	10.00	16.67
8	35–योजना एवं विकास विभाग	2053	37.51	9.43	28.08	74.86
9	41–पथ निर्माण विभाग	3054	487.00	151.80	335.20	68.83
10	45–गन्ना उद्योग विभाग	2401	46.71	38.14	8.57	18.35
11	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	2015	4.31	3.06	1.25	29.00
योग			**926.48**	**356.65**	**569.83**	**61.50**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 35)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401–फसल कृषि कर्म	2,659.64	793.89	29.85
2		2402–मृदा तथा जल संरक्षण	170.85	38.39	22.47
3		2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	375.41	51.27	13.66
4	2	2403–पशुपालन	490.23	68.91	14.06
5		2405–मत्स्य पालन	174.60	97.62	55.91
6		3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	21.61	20.10	93.01
7	3	2059–लोक निर्माण कार्य	734.65	51.43	7.00
8		2216–आवास	37.95	14.39	37.92
9		4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	17.00	5.37	31.59
10		4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	95.00	13.84	14.57
11		4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	2,315.96	404.39	17.46
12		4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	625.00	56.22	9.00
13		4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	25.87	13.42	51.87
14		4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय	379.24	49.77	13.12
15		4408–खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय	141.56	21.40	15.12
16		5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	46.41	6.41	13.81
17	4	2053–जिला प्रशासन	75.43	20.61	27.32
18		2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	213.58	64.61	30.25
19	6	2015–निर्वाचन	129.49	14.39	11.11
20	8	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	72.72	19.07	26.22
21		2205–कला एवं संस्कृति	63.33	25.10	39.63
22	9	2401–फसल कृषि कर्म	1,308.55	587.53	44.90
23		2425–सहकारिता	507.90	249.16	49.06
24		4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	60.69	42.76	70.46
25	10	2810–अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	84.59	71.24	84.22
26		4810–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,424.83	61.86	1.14

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
27		6801–बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण	390.28	233.89	59.93
28	11	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,551.69	341.58	22.01
29	12	2052–सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	75.56	10.27	13.59
30		2054–कोषागार तथा लेखा प्रशासन	167.55	51.20	30.56
31		7610–सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	43.00	19.65	45.70
32	13	2049–ब्याज अदायगियाँ	10,764.82	13.06	0.12
33	16	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10,231.82	1,876.51	18.34
34	17	2043–राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह	155.71	34.97	22.46
35	18	2408–खाद्य भंडारण तथा भांडागार	417.55	61.07	14.63
36		3456–सिविल आपूर्ति	939.95	179.19	19.06
37		5475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	40.31	10.42	25.85
38	19	2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	360.21	29.80	8.27
39		4406–वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	56.60	25.27	44.65
40	20	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6,218.67	507.13	8.15
41		2211–परिवार कल्याण	1,614.77	873.25	54.08
42		4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,615.38	150.48	9.32
43	21	2202–सामान्य शिक्षा	36,918.81	9,175.91	24.85
44		4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	547.45	103.88	18.98
45	22	2055–पुलिस	7,751.24	152.57	1.97
46		2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	632.35	11.86	1.88
47		2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	80.31	15.98	19.90
48		4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	466.98	13.36	2.86
49		4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	83.91	12.73	15.17
50	23	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	128.94	18.72	14.52
51		2852–उद्योग	578.42	23.58	4.08
52	24	2220–सूचना तथा प्रचार	233.15	40.80	17.50
53	25	2852–उद्योग	244.45	43.81	17.92
54	26	2230–श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	680.43	147.14	21.62
55		4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20.00	16.93	84.65
56	27	2014–न्याय प्रशासन	905.79	151.80	16.76
57	28	2014–न्याय प्रशासन	164.42	12.19	7.41
58	29	2853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	51.12	16.15	31.59

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
59	30	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	49.00	5.09	10.39
60		2250–अन्य सामाजिक सेवाएँ	65.04	32.00	49.20
61		4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	128.00	83.56	65.28
62	32	2011–संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानमंडल	184.11	13.84	7.52
63	33	2051–लोक सेवा आयोग	119.42	69.60	58.28
64		2052–सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	120.92	11.75	9.72
65		2053–जिला प्रशासन	452.58	132.52	29.28
66	35	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	316.00	25.90	8.20
67		3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	130.60	75.07	57.48
68		4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,195.27	156.53	13.10
69		4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	13.68	27.36
70		4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	604.32	193.11	31.95
71	36	2215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता	917.61	34.02	3.71
72		4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,125.84	451.09	21.22
73	37	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	293.37	51.98	17.72
74		3054–सड़क तथा सेतु	900.00	50.61	5.62
75		4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	10,305.97	1,759.64	17.07
76	38	2030–स्टाम्प तथा पंजीकरण	92.90	28.41	30.58
77		2039–राज्य उत्पाद शुल्क	110.65	13.24	11.97
78	39	2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	4,791.56	1,321.87	27.59
79	40	2029–भू–राजस्व	746.40	126.51	16.95
80		4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	27.95	6.23	22.29
81	41	3054–सड़क तथा सेतु	1,414.61	151.80	10.73
82		5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,747.21	155.89	2.71
83	42	2203–तकनीकी शिक्षा	228.23	124.25	54.44
84		2215–जलापूर्ति एवं सफाई	5,884.01	290.29	4.93
85		2216–आवास	8,407.24	262.45	3.12
86		2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,320.21	411.65	31.18
87		2505–ग्राम रोजगार	2,187.49	402.78	18.41
88		2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	894.39	49.02	5.48

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
89		3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	20.20	20.20	100.00
90		4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	151.01	12.74	8.44
91	43	2203–तकनीकी शिक्षा	182.79	23.42	12.81
92		4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	178.50	45.69	25.60
93	44	2225–अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	1,459.05	400.91	27.48
94	45	2401–फसल कृषि कर्म	72.14	38.14	52.87
95		2852–उद्योग	177.40	37.01	20.86
96	46	3452–पर्यटन	57.92	21.75	37.55
97		5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	108.01	18.67	17.29
98	47	2041–वाहन कर	124.74	68.51	54.92
99		3055–पथ परिवहन	1,175.15	74.23	6.32
100	48	2215–जलापूर्ति एवं सफाई	206.00	60.19	29.22
101		2217–शहरी विकास	5,036.16	1,211.26	24.05
102	49	2700–मुख्य सिंचाई	549.84	24.05	4.37
103		2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	408.39	11.43	2.80
104		4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,767.64	68.92	3.90
105	50	2702–लघु सिंचाई	472.52	35.10	7.43
106		4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	265.40	91.45	34.46
107	51	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7,206.41	1,152.34	15.99
108		2236–पोषण	2,323.77	108.10	4.65
109		4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	209.28	13.19	6.30
योग			**1,72,346.95**	**27,279.98**	**15.83**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 35)

मार्च 2019 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	वर्ष 2018–19 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2019 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2019 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
					जनवरी – मार्च 2019	मार्च 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	01–कृषि विभाग	2,194.81	1,375.99	869.84	62.69	39.63
2.	03–भवन निर्माण विभाग	3,233.94	2,342.05	1,425.04	72.42	44.07
3.	04–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	234.67	128.86	104.79	54.91	44.65
4.	06–निर्वाचन विभाग	115.46	81.46	59.73	70.55	51.73
5.	09–सहकारिता विभाग	1,479.33	901.43	815.13	60.94	55.10
6.	10–ऊर्जा विभाग	12,117.91	5,501.48	3,976.99	45.40	32.82
7.	19–पर्यावरण एवं वन विभाग	350.00	226.26	181.60	64.65	51.89
8.	25–सूचना प्रावैधिकी विभाग	172.75	141.38	84.00	81.84	48.63
9.	41–पथ निर्माण विभाग	6,485.23	3,611.43	2,028.26	55.69	31.28
10.	43–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	250.09	156.78	87.11	62.69	34.83
11.	45–गन्ना उद्योग विभाग	169.46	114.56	76.49	67.60	45.14
12.	47–परिवहन विभाग	1,162.20	1,120.40	1,063.32	96.40	91.49
13.	48–नगर विकास एवं आवास विभाग	3,300.02	1,857.25	1,031.67	56.28	31.26
14.	50–लघु जल संसाधन विभाग	604.44	392.38	347.91	64.92	57.56
योग		**31,870.31**	**17,951.71**	**12,151.88**	**56.33**	**38.13**

(स्रोतः वित्त लेखे, 2018-19)

परिशिष्ट–2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 36)

गैर आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिक निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	10 वाहनों के क्रय हेतु	1.17
2			विवेकाधीन अनुदान पर प्रत्याशित व्यय के मुकाबले राशि की कम मांग	0.40
3	2014	न्याय प्रशासन	पटना उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता के कार्यालय हेतु वाहन क्रय करने के लिए	0.23
4	2029	भू राजस्व	राज्य में विभिन्न मेलाओं के प्रयोजन हेतु	0.95
5			राजस्व एवं भू सुधार विभाग, बिहार के माननीय मंत्री तथा मुख्य सचिव के कार्यालय के वाहन क्रय हेतु	0.41
6	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	शराब के खपत की जाँच हेतु ब्रेथ एनालाइजर के लिए भुगतान	0.50
7	2052	सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	राजस्व पार्षद, बिहार के ऑन लाइन परीक्षा से संबंधित खर्च	0.50
8			लंबित यात्रा बिल के भुगतान हेतु	0.06
9			सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रत्येक चार आई–टी–लड़के एवं डी–ई–ओं– के मानदेय भुगतान हेतु	0.10
10			विकास आयुक्त के कार्यालय, बिहार के वाहन क्रय हेतु	0.36
11			योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव/सचिव के कार्यालय के वाहन क्रय हेतु	0.18
12			राजस्व मंडल, बिहार में ऑनलाइन परीक्षा, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण के लिए मशीन	0.95
13			राजस्व पार्षद, बिहार के वाहन क्रय हेतु	0.18
14			विकास आयुक्त अनुभाग में संविदा ड्राइवर के भुगतान हेतु	0.06
15			सैन्य कल्याण निदेशालय द्वारा प्रयुक्त कार के लंबित किराए के भुगतान हेतु	0.04
16	2053	जिला प्रशासन	भागलपुर प्रमंडल के संभागीय आयुक्त के कार्यालय के कार क्रय हेतु	0.09
17			दो संविदा कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान हेतु	0.03
18			जिला मजिस्ट्रेट अरवल के कार्यालय के आधिकारिक प्रयोजन हेतु वाहन क्रय	0.11
19	2055	पुलिस	बिहार पुलिस हेतु वाहन क्रय	58.73
20			बिहार पुलिस हेतु नये वाहन क्रय	0.17
21	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	लोकायुक्त संस्थान के माननीय सदस्य के कार्यालय के वाहन क्रय हेतु	0.23

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	भूतपूर्व एमएलए के चिकित्सा उपचार पर व्यय हेतु	0.15
23			सेवानिवृत माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायधीश एवं उनके परिवार के सदस्यों पर चिकित्सा खर्च हेतु	0.75
24			सेवानिवृत माननीय न्यायधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों के घरेलू सहायता भत्ता के भुगतान हेतु	0.25
25	2251	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	अल्पसंख्यक मामले के माननीय मंत्री के कार्यालय तथा अल्पसंख्यक मामले के विभाग के मुख्य सचिव के कार्यालय हेतु क्रमशः ₹23 लाख एवं ₹18 लाख के वाहनों का क्रय हेतु	0.41
26			बिहार वक्फ बोर्ड के अतिथि पीठासीन अधिकारी पर व्यय हेतु	0.01
27			माननीय मंत्री/मुख्य सचिव के कार्यालय के लिये दो वाहनों के क्रय हेतु	0.38
28	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	खनन तथा भूतत्व विभाग के माननीय मंत्री/मुख्य सचिव के कार्यालय हेतु नये वाहन	0.31
29	3451	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	विज्ञान तथा तकनीकी विभाग के माननीय मंत्री एवं मुख्य सचिव के कार्यालय के लिये वाहन क्रय	0.47
30			सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री के कार्यालय हेतु वाहन क्रय	0.21
31			ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के माननीय मंत्री के कार्यालय के उपयोग हेतु दो वाहनों का क्रय	0.46
32	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्यों हेतु निधि का 2 करोड़ से 3 करोड़ का विस्तार	3.18
33				50.88
34				263.94
	योग			**386.85**

(स्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त अभिलेख)

परिशिष्ट–2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 38)

बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0सी0 विपत्र की तिथि	ए0सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलंब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2015	जिला निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, लखीसराय	05-04-2014	82.00	13-11-2017	3.39	43
2.	2015	अंचल पदाधिकारी का कार्यालय, घोसी, जहानाबाद	10-04-2014	3.94	20-12-2016	1.67	32
3.	2015	अंचल पदाधिकारी का कार्यालय, मुशहरी, मुजफ्फरपुर	29-04-2014	6.99	23-01-2018	4.69	44
4.	2230	सहायक निदेशक (परीक्षा), निदेशालय रोजगार और प्रशिक्षण (प्रशिक्षण विंग) का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार , पटना	24-01-2014	10.51	14-11-2017 16-11-2017	1.46	45
5.	2230	प्राचार्य का कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी, अररिया	30-03-2017	12.28	23-03-2018	4.04	11
6.	2235	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, बेतिया, पूर्वी चम्पारण	17-02-2012	3.80	27-12-2017	2.88	70
7.	2403	पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना	20-03-2016	1.90	16-05-2018	0.39	25
			20-03-2016	84.42	16-05-2018	0.01	25
			30-03-2016	38.05	16-05-2018	0.14	25
			30-03-2016	19.02	17-05-2018	7.11	25
			30-03-2016	12.00	17-05-2018	4.19	25
			30-03-2016	8.73	17-05-2018	5.87	25
			30-03-2016	16.09	05-06-2018	2.00	26
8.	2403	महाप्रबंधक का कार्यालय, केन्द्रीय पोल्ट्री क्षेत्र, पटना	17-03-2010	150.00	15-02-2018	6.98	94
9.	2405	जिला मत्स्य अधिकारी–सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय नालंदा, बिहार शरीफ	15-02-2016	56.95	25-05-2017	31.61	15
10.	2515	जिला पदाधिकारी का कार्यालय, मधुबनी	26-03-2009	9.83	25-01-2018	7.84	105

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0सी0 विपत्र की तिथि	ए0सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलंब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	2852	सहायक निदेशक का कार्यालय, उद्योग (लेखा) उद्योग विभाग, बिहार, पटना	15-03-2016	800.00	18-04-2018	200.37	25
12.	3454	जिला पदाधिकारी का कार्यालय, सीवान	30-03-2007	16.66	29-10-2016	2.07	114
13.	4059	उप समाहर्त्ता (नजारत) का कार्यालय, सीवान	19-02-2013	239.75	15-12-2017	74.89	57
14.	4202	प्रभारी पदाधिकारी का कार्यालय, जिला विकास स्कंध, सारण, छपरा	29-03-2010	13.25	28-06-2018	1.43	98
15.	4250	प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, मेजरगंज, सीतामढ़ी	31-12-2013	26.71	07-02-2018	2.64	49
योग				**1,612.88**		**365.67**	

(स्रोतः 2018–19 के लिए वाउचर लेखापरीक्षा का परिणाम)

परिशिष्ट–2.15

(संदर्भः कंडिका 2.5; पृष्ठ 38)

शत्–प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए0सी0 विपत्र की तिथि	ए0सी0 विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण विलंब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2055	उप निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय, सहरसा	20-08-2009	21.15	30-12-2017	21.15	100
2.	2204	जिला नजारत उप समाहर्ता का कार्यालय, बेतिया, पूर्वी चम्पारण	31-03-2016	10.00	25-01-2018	10.00	21
3.	2235	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, लोरिया, पूर्वी चम्पारण	21.02.2012	3.80	02.08.2018	3.80	77
4.	2235	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय, ग्वालपारा, मधेपुरा	31-03-2010	0.73	01-02-2018	0.73	94
			31-03-2008	0.57	01-02-2018	0.57	118
			04-02-2012	0.58	01-02-2018	0.58	71
5.	2245	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, मधेपुरा	31.03.2013	10.99	01.12-2015	10.99	32
6.	2250	जिला कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय, सारण	31-12-2011	1.20	20-06-2017	1.20	65
7.	2401	प्रशासनिक–सह–लेखा पदाधिकारी का कार्यालय, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना	21-11-2016	1.12	14-02-2018	1.12	14
8.	2851	निदेशक, हथकरघा और सेरीकल्चर का कार्यालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	10-02-2016	9.98	19-12-2017	9.98	22
9.	2851	निदेशक, हथकरघा और सेरीकल्चर का कार्यालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	10-02-2016	27.24	19-12-2017	27.24	22
10.	3456	जिला नजारत उप समाहर्ता का कार्यालय, वैशाली, हाजीपुर	25-01-2012	2.47	28-11-2017	2.47	70
11.	4425	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, पटना	31-03-2016	34.40	28-11-2017	34.40	19
योग				**124.23**		**124.23**	

(स्रोतः 2018–19 के लिए वाउचर लेखापरीक्षा का परिणाम)

परिशिष्ट–2.16

(संदर्भः कंडिका 2.6; पृष्ठ 38)

वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक (प्रत्येक मामले में) असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित राशि	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
असमाशोधित प्राप्तियाँ			
1.	0006–राज्य माल एवं सेवा कर	15,288.06	4,868.87
2.	0028–आय और व्यय पर अन्य कर	258.36	125.05
3.	0029–भू–राजस्व	476.80	476.80
4.	0030–स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,188.61	4,186.90
5.	0040–बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,584.24	6,584.24
6.	0041–वाहनों पर कर	2,085.94	1,997.07
7.	0042–माल एवं यात्रियों पर कर	398.74	398.74
8.	0043–उर्जा पर कर एवं शुल्क	269.16	269.16
9.	0045–सेवाओं और वस्तुओं पर अन्य कर एवं शुल्क	39.17	39.17
10.	0049–ब्याज भुगतान	1,371.94	1,371.94
11.	0050–लाभांश और मुनाफा	13.67	13.67
12.	0051–लोक सेवा आयोग	34.09	34.09
13.	0055–पुलिस	30.41	30.41
14.	0059–लोक निर्माण कार्य	25.39	25.39
15.	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46.80	16.80
16.	0202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.85	18.85
17.	0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	66.61	59.27
18.	0215–जलापूर्ति तथा सफाई	11.41	11.41
19.	0230–श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	14.89	14.89
20.	0401–फसल कृषि कर्म	14.99	14.99
21.	0405–मत्स्यपालन	13.17	13.17
22.	0406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	29.11	29.11
23.	0425–सहकारिता	20.46	20.46
24.	0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	62.37	62.37
25.	0700–मुख्य सिंचाई	36.92	36.92
26.	0701–मध्यम सिंचाई	15.85	15.85
27.	0702–लघु सिंचाई	11.40	11.40
28.	0853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,560.65	1,510.92
29.	1054–सड़क एवं सेतु	118.06	118.06
30.	1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.42	21.42
31.	1601–केन्द्रीय सहायता अनुदान	24,651.63	50.08
कुल		**57,779.17**	**22,447.47**
असमाशोधित व्यय			
1	2013–मंत्रिपरिषद्	24.77	24.77

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित राशि	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
2	2014–न्याय प्रशासन	970.22	847.82
3	2015–निर्वाचन	122.51	122.51
4	2029–भू–राजस्व	518.90	518.90
5	2030–स्टाम्प तथा पंजीकरण	64.55	64.55
6	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	97.54	97.54
7	2041–वाहन कर	55.89	55.89
8	2043–राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह	113.87	112.78
9	2049–ब्याज अदायगियाँ	10,071.14	841.44
10	2051–लोक सेवा आयोग	98.72	68.22
11	2052–सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	260.85	110.06
12	2053–जिला प्रशासन	467.57	460.06
13	2054–कोषागार तथा लेखा प्रशासन	84.04	83.84
14	2055–पुलिस	7,046.94	5,429.13
15	2056–जेल	403.24	118.02
16	2059–लोक निर्माण कार्य	558.11	558.11
17	2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	768.64	674.04
18	2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	16,027.75	16,027.75
19	2202–सामान्य शिक्षा	26,688.96	26,675.91
20	2203–तकनीकी शिक्षा	238.13	187.92
21	2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	53.28	53.28
22	2205–कला एवं संस्कृति	43.16	43.16
23	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,427.11	5,397.40
24	2211–परिवार कल्याण	745.00	738.83
25	2215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता	5,387.28	5,387.28
26	2216–आवास	5,470.59	5,470.59
27	2217–शहरी विकास	3,063.56	3,063.56
28	2220–सूचना तथा प्रचार	187.28	187.28
29	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,164.39	2,164.39
30	2230–श्रम एवं रोजगार	517.05	517.05
31	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,127.47	5,110.14
32	2236–पोषण	1,486.52	1,486.52
33	2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,607.14	1,530.76
34	2251–सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	72.85	54.91
35	2401–फसल कृषि कर्म	1,667.80	1,667.80
36	2402–मृदा तथा जल संरक्षण	119.05	119.05
37	2403–पशुपालन	365.30	33.95
38	2404–डेयरी विकास	118.70	46.77
39	2405–मत्स्य पालन	73.85	63.11
40	2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	314.77	314.77
41	2408–खाद्य भंडारण तथा भांडागार	356.25	356.25

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित राशि	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
42	2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	374.19	168.64
43	2425–सहकारिता	241.55	241.55
44	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	908.42	908.42
45	2505–ग्रामीण रोजगार	1,027.72	1,027.72
46	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,416.39	9,416.39
47	2700–मुख्य सिंचाई	501.88	409.57
48	2702–लघु सिंचाई	428.20	392.32
49	2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	395.23	325.07
50	2801–ऊर्जा (बिजली)	6,909.68	2,772.68
51	2810–गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत	13.35	13.35
52	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग	59.21	59.21
53	2852–उद्योग	751.76	751.76
54	2853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	29.42	16.25
55	3054–सड़क तथा सेतु	1,696.02	1,689.60
56	3055–पथ परिवहन	1,095.51	1,095.51
57	3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	93.38	72.76
58	3456–सिविल आपूर्ति	738.45	737.99
59	3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	91.77	91.77
60	4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	445.33	445.33
61	4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,781.73	1,781.73
62	4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,079.48	1,063.13
63	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,056.22	1,047.56
64	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,145.71	1,145.71
65	4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,485.37	1,485.37
66	4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय	231.21	231.21
67	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	27.21	27.21
68	4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	73.51	73.51
69	4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	54.57	54.57
70	4406–वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	31.12	31.12
71	4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	12.58	12.58
72	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	960.40	960.40
73	4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	636.98	636.98
74	4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	170.21	170.21
75	4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,243.88	1,243.88
76	4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,035.36	5,035.36
77	4853–अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग कर पूँजीगत परिव्यय	13.84	13.84
78	4859–दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	81.83	81.83
79	5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,263.69	5,263.69
80	5465–सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	123.00	15.00
योग		**1,44,776.10**	**1,27,896.89**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट–2.17

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 40)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या–09)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
1.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–0001–निदेशन	5.51	0.09	5.60	4.89
2.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–0002–अधीक्षण	89.25	1.82	91.07	87.54
3.	2425–सहकारिता–00–101–सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा–0001–अंकेक्षण	28.52	0.30	28.82	27.34
	योग	**123.28**	**2.21**	**125.49**	**119.77**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे, 2018-19)

परिशिष्ट–2.18

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 40)

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान संख्या–09)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि
1.	2401–फसल कृषि कर्म–00–110–फसल बीमा–0101–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.01	0.01
2.	2401–फसल कृषि कर्म–00–110–फसल बीमा–0104–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को विमित्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	0.01	0.01
3.	2401–फसल कृषि कर्म–00–110–फसल बीमा–0110–संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0.01
4.	2408–खाद्य भंडारण तथा भांडागार–02–भंडारण और भांडागार–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों को सहायता–0101–बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.01	0.01
5.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–0003–सहकारी अधिकरण	0.03	0.03
6.	2425–सहकारिता–00–003–प्रशिक्षण–0102–विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	1.00	1.00
7.	2425–सहकारिता–00–003–प्रशिक्षण–0103–सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण एवं मरम्मति हेतु	1.00	1.00
8.	2425–सहकारिता–00–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता–0105–मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	5.27	5.27
9.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–0107–समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	3.78	3.78
10.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–0419–प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50	187.50
11.	6425–सहकारिता के लिए कर्ज–00–108–अन्य सहकारी समितियों को कर्ज–0419–प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	187.50	187.50
	योग	**386.12**	**386.12**

(स्रोतः 2018-19 के विस्तृत विनियोग लेखे, अनुदान अंकेक्षण पंजी तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट–2.19

(संदर्भः कंडिका 2.7; पृष्ठ 40)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या–09)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुन र्विनियोजन	योग (2+3+4)	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2401–फसल कृषि कर्म–00–110–कृषि बीमा –0107–पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान	0.01	0.00	1.02	1.03	0.004	0.39
2.	2401–फसल कृषि कर्म–00–110–कृषि बीमा –0112–बिहार राज्य फसल सहायता योजना	0.00	900.00	0.00	900.00	581.77	64.64
3.	2401–फसल कृषि कर्म–00–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0364–प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रीमियम अनुदान	6.97	0.00	0.00	6.97	5.73	82.21
4.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–0001–निदेशन	5.51	0.09	0.00	5.60	0.70	12.50
5.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–0002–अधीक्षण	89.25	1.82	0.00	91.07	3.53	3.88
6.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन एवं प्रशासन–0107–सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	1.00	0.00	0.96	1.96	1.07	54.59
7.	2425–सहकारिता–00–003–प्रशिक्षण–0001–कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.46	0.00	0.00	0.46	0.08	17.39
8.	2425–सहकारिता–00–101–सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा–0001–अंकेक्षण	28.52	0.30	0.00	28.82	0.39	1.35
9.	2425–सहकारिता–00–105–सूचना एवं प्रचार–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय	0.51	0.00	1.26	1.77	0.23	12.99
10.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–0114–गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	83.90	0.00	0.00	83.90	0.77	0.92
11.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–0116–सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	50.00	0.00	0.00	50.00	29.61	59.22

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुन र्विनियोजन	योग (2+3+4)	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–0118–पैक्सों/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान	22.00	0.00	-0.96	21.04	14.20	67.49
13.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता–0419– पैक्सों के अंतर्गत कृषि संयंत्र बैंकों की स्थापना	0.00	187.50	0.00	187.50	187.50	100.00
14.	3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ –00–090–सचिवालय–0005– सहकारिता विभाग	5.71	0.63	0.00	6.34	0.13	2.05
15.	4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय –00–051–निर्माण–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	23.82	0.00	23.82	12.85	53.95
16.	4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय –00–051–निर्माण–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	31.77	0.00	31.77	29.91	94.15
17.	6425–सहकारिता के लिए कर्ज–00–107–जमा सहकारी समितियों को कर्ज–0101–बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	74.03	725.97	0.00	800.00	0.007	0.00
18.	2401–फसल कृषि–कर्म–00–110–फसल बीमा–0101–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
19.	2401–फसल कृषि–कर्म–00–110–फसल बीमा –0104–राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
20.	2401–फसल कृषि–कर्म–00–110–फसल बीमा –0110–संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
21.	2408–खाद्य भंडारण तथा भंडागार–02–भंडारण और भंडागार–190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों को सहायता–0101–बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुन र्विनियोजन	योग (2+3+4)	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	2425–सहकारिता–00–001–निदेशन तथा प्रशासन –0003–सहकारी अधिकरण	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	100.00
23.	2425–सहकारिता–00–003–प्रशिक्षण–0102–विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
24.	2425–सहकारिता–00–003–प्रशिक्षण–0103–सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति एवं बनाने हेतु	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
25.	2425–सहकारिता–00–107–सहकारी क्रेडिट समितियों को सहायता–0105–मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	5.27	0.00	0.00	5.27	5.27	100.00
26.	2425–सहकारिता–00–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता –0107–समेकित शहरी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान	3.78	0.00	0.00	3.78	3.78	100.00
	योग	**378.99**	**1,871.9**	**2.28**	**2,253.17**	**879.601**	**39.04**

(स्रोत 2018-19 के विस्तृत विनियोग लेखे, अनुदान अंकेक्षण पंजी तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

परिशिष्ट–2.20

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधि का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
1.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं–0001–यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम	68.97	8.88
2.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–200–अन्य पद्धतियाँ –0001–अन्य पद्धतियाँ	0.30	0.23
3.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगो का निवारण तथा नियंत्रण–0012–महादलित टोलो में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	3.00	0.71
4.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110–अस्पताल एवं औषधालय–0011–संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.87	0.33
5.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110–अस्पताल एवं औषधालय–0012–राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	8.15	1.27
6.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–001–निदेशन और प्रशासन–0001–अधीक्षण	12.59	0.90
7.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	119.32	2.29
8.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –103–प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1165.88	34.42
9.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –101–स्वास्थ्य उप केंद्र–0003– स्वास्थ्य उप केंद्र	46.59	3.68
10.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)–200 –अन्य स्वास्थ्य योजनाएं –0005–अन्यान्य औषधालय, स्थानीय औषधालय	41.74	5.06
11.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं–0006–विधायक अस्पताल, पटना	2.21	0.45
12.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110–अस्पताल एवं औषधालय –0019–रोगी कल्याण समितियों हेतु	2.00	2.00
13.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम	61.42	6.49
14.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –001–निदेशन और प्रशासन–0001–स्वास्थ्य निदेशालय	29.77	6.19
15.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–102–खाद्य अपमिश्रण का निवारण–0001–खाध नियत्रंक स्थापना	3.51	0.71
16.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–106–औषध नियंत्रण –0001–औषध नियंत्रण स्थापना	14.92	1.14
17.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण –0002–प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना	1.05	0.12
18.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–107–लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला–0001–लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	6.06	0.38
19.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–113–लोक स्वास्थ्य प्रचार–0001–प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.68	0.01

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
20.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06– लोक स्वास्थ्य–003–प्रशिक्षण–0002–जनस्वास्थ्य संस्थापन	16.64	3.46
21.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06– लोक स्वास्थ्य–101–रोगो का निवारण तथा नियंत्रण –0002– राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	28.92	1.01
22.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06– लोक स्वास्थ्य–101–रोगो का निवारण तथा नियंत्रण –0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	35.71	6.99
23.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	575.79	54.29
24.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110–अस्पताल तथा औषधालय –0016–मानसिक आरोग्यशाला	15.00	10.25
25.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –001–निदेशन और प्रशासन –0002–जिला चिकित्सा पदाधिकारी	73.02	4.70
26.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां–101–आयुर्वेद –0002–आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला	2.06	0.37
27.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां –101– आयुर्वेद –0001–देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय	36.53	8.93
28.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां–102– होम्योपैथी –0001– होम्योपैथी–औषधालय	6.71	1.89
29.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां –103–यूनानी–0001–यूनानी औषधालय	5.48	1.66
30.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –101–आयुर्वेद–0001–आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय	14.59	1.56
31.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–101–आयुर्वेद–0002–आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना	26.53	5.97
32.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–101– आयुर्वेद –0004– आयुर्वेदिक कॉलेज, मोहनपुर दरभंगा	3.27	0.37
33.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–101– आयुर्वेद –0005–आयुर्वेदिक कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर	1.88	0.18
34.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–102–होम्योपैथी –0001–होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	9.53	1.22
35.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –103–यूनानी–0001–तिब्बी कॉलेज	34.78	2.46
36.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –101– आयुर्वेद –0003– आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर	9.01	0.80
37.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धतियां–101– आयुर्वेद –0002–ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	21.91	2.71
38.	2211–परिवार कल्याण–00–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं–0205–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	612.54	182.76
39.	2211– परिवार कल्याण–00–004–अनुसंधान तथा मूल्यांकन –0202–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.22	0.15
40.	2211–परिवार कल्याण–00–003–प्रशिक्षण–0206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	49.37	42.33

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
41.	2211– परिवार कल्याण –00–001–निदेशन और प्रशासन –0204– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	117.00	91.55
42.	2211– परिवार कल्याण –00–103–मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य –0102–मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना	280.00	252.04
43.	2211– परिवार कल्याण –00–004–अनुसंधान तथा मूल्यांकन –0302– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.11	0.11
44.	2211– परिवार कल्याण –00–003– प्रशिक्षण –0306– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	21.55	17.45
45.	2211– परिवार कल्याण –00–102–शहरी परिवार कल्याण सेवाएं –0202– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	12.61	9.39
46.	2211– परिवार कल्याण –00–001– निदेशन और प्रशासन –0304– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	35.24	25.21
47.	2211– परिवार कल्याण –00–103–मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य –0001– मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	5.82	2.01
48.	2211– परिवार कल्याण –00–102–शहरी परिवार कल्याण सेवाएं –0302– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6.51	6.18
49.	2211–परिवार कल्याण –00–101– ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं–0001– ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	109.08	48.81
50.	2211– परिवार कल्याण –00–101– ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं –0305– स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	364.72	195.25
51.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –001–निदेशन और प्रशासन –0004–अंधेपन की रोकथाम	18.25	6.05
52.	4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं –051–निर्माण–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण	63.00	0.48
53.	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम –110–अन्य बीमा योजनायें–0304– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	21.99	0.01
54.	4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –110– अस्पताल तथा औषधालय –0113– जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	35.00	2.00
55.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)– 200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं–0209–एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	374.45	182.80
56.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –200–अन्य पद्धतियाँ –0002–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	1.85	0.48
57.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0005–नालंदा मेडिकल कॉलेज	67.05	6.41
58.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0003– दरभंगा मेडिकल कॉलेज	83.88	16.89
59.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0001– पटना मेडिकल कॉलेज	118.21	18.41

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
60.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –200– अन्य स्वास्थ्य योजनाएं –0008–रक्त भंडार	4.27	0.99
61.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय–0025–राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया	3.03	2.53
62.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी –0022–वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी	33.81	4.34
63.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय –0010–इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	47.69	12.61
64.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय –0009–भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर	75.70	0.80
65.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय–0008–श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	81.52	14.07
66.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय–0006–मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	61.06	3.90
67.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय–0004–नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	104.95	6.32
68.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय –0002–दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	105.95	6.83
69.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी –0028–जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	13.71	11.11
70.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी –0023–राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया	37.68	4.60
71.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110– अस्पताल तथा औषधालय –0021–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेंज अस्पताल, पावापुरी की स्थापना	28.09	3.87
72.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0016–नामांकन पर्यवेक्षण समिति	1.00	1.00
73.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0015–शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	1.00	1.00
74.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0013– फार्मेसी प्रशिक्षण	3.59	0.62
75.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –110–अस्पताल तथा औषधालय–0224–रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.53	1.53

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि
76.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105– एलोपैथी –0011–महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओ के लिए विद्यालय	1.22	0.34
77.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी)–110– अस्पताल तथा औषधालय–0001–पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	241.40	33.20
78.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) –200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं –0111–एम्बुलेंस परिचालन	0.01	0.01
79.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा – प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –200–अन्य पद्धतियाँ–0101–इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	1.01	0.01
80.	2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास 03–प्रशिक्षण–102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण –0102–स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण	5.00	3.80
81.	4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –110– अस्पताल तथा औषधालय–0111– मेडिकल कॉलेज अस्पताल	8.97	0.01
82.	4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –110– अस्पताल तथा औषधालय–0219– रिजनल जेरियाट्रिक सेन्टर (बुजुर्गो के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	2.60	2.60
83.	4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –050–भूमि–0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान	323.16	8.67
84.	4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –03– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0112–ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 स्कूल	365.00	125.00
85.	4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –03– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –0101– मेडिकल कॉलेज	335.00	11.73
86.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0010– भागलपुर मेडिकल कॉलेज	40.00	1.65
87.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0009–दन्त महाविद्यालय, पटना	12.09	1.77
88.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0008– श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	43.74	10.76
89.	2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –105–एलोपैथी –0007–मगध मेडिकल कॉलेज	48.63	1.35
	योग	**6,939.25**	**1,567.87**

(स्रोतः स्वास्थ्य विभाग का अभ्यर्पण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट–2.21

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय
1.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (एलोपैथी)–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	227.70	13.70	241.40	208.20
2.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (एलोपैथी)–110–अस्पताल तथा औषधालय–0008– श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	75.52	6.00	81.52	67.45
3.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04 –ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–102–होम्योपैथी–0002–होम्योपैथी औषधालय	5.87	0.84	6.71	4.82
4.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–04 –ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ–103–यूनानी–0001–यूनानी औषधालय	4.85	0.63	5.48	3.82
5.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05 –चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज	118.18	0.35	118.53	99.80
6.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05 –चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –105–एलोपैथी–0003–दरभंगा मेडिकल कॉलेज	78.57	5.31	83.88	66.99
7.	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –105–एलोपैथी 0028–जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	9.71	4.00	13.71	2.60
8.	2211–परिवार कल्याण–00–003– प्रशिक्षण– 0206–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	29.17	20.20	49.37	7.04
9.	2211–परिवार कल्याण–00–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ–0001–ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	64.03	45.05	109.08	60.27

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय
10.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–101–आयुर्वेद–0001– स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा निदेशालय	28.60	7.92	36.52	27.59
11.	2211–परिवार कल्याण–00–103–मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य–0001–मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य	5.56	0.25	5.81	3.81
12.	4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–050–भूमि–0103–नए चिकित्सा कॉलेज एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	315.00	8.16	323.16	121.00
13.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–10 2–होम्योपैथी–0001–होम्योपैथी कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर	8.93	0.60	9.53	8.31
	योग	**971.69**	**113.01**	**1084.70**	**681.70**

(स्रोत विस्तृत विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट–2.22

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)

अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)–110–अस्पताल एवं औषधालय–0006–मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया	55.30	5.76	61.06	56.65	4.41
2.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)–110–अस्पताल एवं औषधालय–0012–राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	6.15	2.00	8.15	6.55	1.60
3.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)–110–अस्पताल एवं औषधालय–0021–वर्धमान आर्युविज्ञान संस्थान की स्थापना, पावापुरी	18.79	9.30	28.09	24.04	4.05
4.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ (ऐलोपैथी)–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005 अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	29.96	11.78	41.74	33.16	8.58
5.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–101–आयुर्वेद–0004–सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पटना	5.03	2.66	7.69	7.36	0.33
6.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–101–आयुर्वेद–0002–ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	14.30	7.61	21.91	19.20	2.71
7.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–101–आयुर्वेद–0001–आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय	6.21	8.38	14.59	11.81	2.78
8.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–101– आयुर्वेद–0002– आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना	18.00	8.53	26.53	20.55	5.98
9.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान– 101– आयुर्वेद –0003–आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बक्सर	3.11	5.90	9.01	8.20	0.81
10.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –101– आयुर्वेद –0004–आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मोहनपुर, दरभंगा	1.81	1.46	3.27	2.89	0.38

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
11.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –101– आयुर्वेद –0005– आयुर्वेदिक महाविद्यालय, नाथनगर, भागलपुर	1.02	0.85	1.87	1.69	0.18
12.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –103– यूनानी– 0001– तिब्बी महाविद्यालय	17.49	17.29	34.78	31.72	3.06
13.	2211–परिवार कल्याण–00–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ–0205–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	283.00	329.54	612.54	429.76	182.78
14.	2211–परिवार कल्याण–00–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ–0305– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	73.33	291.39	364.72	169.43	195.29
15.	2211–परिवार कल्याण–00–103–मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य –0102–मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण	0.00	280.00	280.00	27.88	252.12
16.	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–110–अन्य बीमा योजनाएँ–0305–आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (ए0बी0––एन0एच0पी0एम0)	0.00	125.51	125.51	50.00	75.51
17.	4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–051–निर्माण–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण	21.00	42.00	63.00	62.52	0.48
18.	4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक–0101–चिकित्सा महाविद्यालय	135.00	200.00	335.00	310.00	25.00
	योग	**689.50**	**1,349.96**	**2,039.46**	**1,273.41**	**766.05**

(स्रोत विस्तृत विनियोग लेखे 2018-19)

परिशिष्ट–2.23

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 41)

शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)
1.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–(एलोपैथी)–110–चिकित्सालय एवं औषधालय–0019–रोगी कल्याण समितियॉ	2.00	2.00	100
2.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–(एलोपैथी)–110–चिकित्सालय एवं औषधालय –0224–क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्र (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.53	1.53	100
3.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–(एलोपैथी)––200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0111–एम्बुलेंस सेवाओं का परिचालन	0.01	0.01	100
4.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–02 –शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ –200–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ –0202–औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	13.47	13.47	100
5.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–02–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–200–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–0302–औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	4.78	4.78	100
6.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ –एलोपैथी –200–अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ–0203–औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	10.98	10.98	100
7.	2210 –चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–04–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए –200– अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ –0303–औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	5.00	5.00	100
8.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –105–एलोपैथी –0015–शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति	1.00	1.00	100
9.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –105–एलोपैथी –0016–नामांकन पर्यवेक्षण समिति	1.00	1.00	100
10.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –200–अन्य पद्धतियॉ–0101–इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान , पटना	1.01	1.01	100
11.	2211–परिवार कल्याण–00–004–अनुसंधान एवं मूल्यांकन–0302–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.11	0.11	100
12.	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–110 अन्य बीमा योजनाएँ–0204–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	105.00	105.00	100
13.	2235– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण –060– अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम–110–अन्य बीमा योजनाएं–0304–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	21.99	21.99	100
14.	4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–051–निर्माण–0103–जिला चिकित्सा पदाधिकारी के आवासीय एवं कार्यालय भवन का निर्माण	5.00	5.00	100
15.	4210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110– चिकित्सालय एवं औषधालय –0219–क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र	2.60	2.60	100
16.	4210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01– शहरी–स्वास्थ्य सेवाएँ –110– चिकित्सालय एवं औषधालय–0319– क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र (बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1.65	1.65	100
	योग	**177.13**	**177.13**	**100**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट–2.24

(संदर्भः कंडिका 2.8; पृष्ठ 42)

50 से 99 प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 20)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)
1.	2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–110– चिकित्सालय एवं औषधालय–0016–मानसिक चिकित्सालय	15.00	10.25	68.33
2.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –105–एलोपैथी –0028–जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	13.71	11.11	81.04
3.	2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य –200–अन्य पद्धतियाँ–0001– अन्य पद्धतियाँ	0.30	0.23	76.67
4.	2211–परिवार कल्याण–00–001– निदेशन एवं प्रशासन –0204– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	117.00	91.55	78.25
5.	2211– परिवार कल्याण –00–001–निदेशन एवं प्रशासन–0304–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	35.24	25.21	71.54
6.	2211– परिवार कल्याण –00–003–प्रशिक्षण–0206 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	49.37	42.33	85.75
7.	2211–परिवार कल्याण –00–003–प्रशिक्षण–0306– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	21.55	17.45	80.98
8.	2211– परिवार कल्याण –00–004–अनुसंधान एवं मूल्यांकन–0202– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.22	0.15	68.18
9.	2211– परिवार कल्याण–00 –101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ–0305– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	364.72	195.25	53.53
10.	2211– परिवार कल्याण–00 –102–शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ–0202– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	12.61	9.39	74.76
11.	2211– परिवार कल्याण –00–102–शहरी परिवार कल्याण सेवाए–0302– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6.51	6.18	94.96
12.	2211– परिवार कल्याण –00–103– मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य –0102–मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण टीकाकरण	280.00	252.04	90.01
13.	2230–श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास–03–प्रशिक्षण– 102– प्रशिक्षु प्रशिक्षण –0102–स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार कौशल विकास केंद्र का खोला जाना	5.00	3.80	75.99
14.	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –110–अन्य बीमा योजनाएँ– 0305–आयुष्मान भारत– राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (एबी0एन0एच0पी0एम0)	125.51	75.51	60.16
15.	4210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–050–भूमि–0103–नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा चिकित्सा संस्थान हेतु	323.16	202.16	62.56
16.	4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–105–एलोपैथी 0112 सहायक प्रसूति परिचारिका (ए0एन0एम0) और सामान्य प्रसूति परिचारिका (जी0एन0एम0) विद्यालय	365.00	240.00	65.75
	योग	**1,734.90**	**1,182.61**	**68.17**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे 2018–19)

परिशिष्ट–2.25

(संदर्भः कंडिका 2.9; पृष्ठ 42)

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
1.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–102–लघु स्तरीय उद्योग 0001– प्रदर्शन केन्द्र	32.64	0.59	33.23	21.64
2.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–103–हथकरघा उद्योग 0001–हथकरघा विकास योजना	1.86	0.02	1.88	1.53
3.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–107– रेशम उत्पादन उद्योग 0001– रेशम उत्पादन का विकास	8.78	0.03	8.81	6.30
4.	2852–उद्योग–80–सामान्य–003–औद्योगिक शिक्षा–अनुसंधान तथा प्रशिक्षण–0001–शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र	1.99	0.09	2.08	1.44
5.	2852–उद्योग–80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	26.66	2.45	29.11	16.86
	योग	**71.93**	**3.18**	**75.11**	**47.77**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे वर्ष 2018-19)

परिशिष्ट–2.26

(संदर्भः कंडिका 2.9; पृष्ठ 42)

शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान संख्या 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण
1.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0101–विद्युत करघा योजना	0.05	0.05
2.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–00–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0104–हस्तकरघा विकास की योजना	2.00	2.00
3.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–00–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0105–पिछड़ी जातियो के लिए विशेष अंगीभूत योजना, रेशम का विकास	3.60	3.60
4.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0109–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	11.60	11.60
5.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0101–हस्तकरघा विकास की योजना	0.05	0.05
6.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0102–बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	0.20	0.20
7.	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–00–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0106–रेशम का विकास	0.25	0.25
8.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–0116–विद्युत करघा योजना	0.02	0.02
9.	4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय–00–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–0102– भेनचर कैपिटल में निवेश	0.10	0.10
10.	4851–ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय–00–190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–0103–बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड)	10.00	10.00
	योग	**27.87**	**27.87**

(स्रोतः अनुदान विनियोग लेखे पंजी वर्ष 2018–19)

परिशिष्ट–2.27

(संदर्भः कंडिका 2.9; पृष्ठ 43)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधि का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या– 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि
1.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–102–लधु उद्योग 0001–प्रदर्शन केन्द्र	32.64	0.59	33.23	8.92
2.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 103– हथकरधा उद्योग–0001– हथकरधा के विकास की योजना	1.86	0.02	1.88	0.28
3.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 103– हथकरधा उद्योग –0103– हथकरधा विकास की योजना	3.29	0.00	3.29	0.51
4.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 104– हस्तशिल्प उद्योग– 0001– हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	4.81	0.00	4.81	1.35
5.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 104–हस्तशिल्प उद्योग–0101– हस्तशिल्प का विकास	12.50	0.00	12.50	0.01
6.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 105– खादी ग्रामोद्योग–0001– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	2.51	1.21	3.72	0.00
7.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 105– खादी ग्रामोद्योग–0101– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	4.20	6.25	10.45	5.04
8.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 107– रेशम उत्पादन उद्योग– 0001– रेशम उत्पादन का विकास	8.78	0.03	8.81	2.49
9.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 107– रेशम उत्पादन उद्योग 0101– रेशम का विकास हेतु पिछड़ी जातियो के लिए विषेश अंगीभूत योजना	18.65	0.00	18.65	0.06
10.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00– 108– बिजली करघा उद्योग–0101–बिजली करघा योजना	5.43	0.00	5.43	0.05
11.	2852–उद्योग–08– उपभोक्ता उद्योग 001– निदेशन तथा प्रशासन–0001– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	1.16	0.00	1.16	0.12
12.	2852–उद्योग–08– उपभोक्ता उद्योग–796– जनजातीय क्षेत्र की उप योजना–0101– आर्थिक सहायता	3.00	0.00	3.00	0.00
13.	2852–उद्योग–80–सामान्य–001– निदेशन तथा प्रशासन–0002–निदेशन	28.24	0.63	28.87	2.08
14.	2852–उद्योग 80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–0111– निवेश आयुक्त का कार्यालय	5.00	0.00	5.00	1.24
15.	2852–उद्योग–80–सामान्य–003–औद्योगिक शिक्षा–अनुसंधान तथा प्रशिक्षण–0001–शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	1.99	0.09	2.08	0.61
16.	2852–उद्योग–80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0004– औद्योगिक समूहों की स्थापना	0.68	0.00	0.68	0.28

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि
17.	2852–उद्योग–80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	26.66	2.45	29.11	0.64
18.	2852–उद्योग–80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0142–प्रोजेक्ट एवं फिजिबिलिटी रिपोर्ट कार्य परियोजना की तैयारी एवं परामर्शी कार्य	9.00	0.00	9.00	0.00
19.	2852–उद्योग– 80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0150–सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी की स्थापना	3.00	0.00	3.00	0.00
20.	2852–उद्योग–80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0160–प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	284.75	0.00	284.75	3.61
21.	2852–उद्योग–80–सामान्य–102–औद्योगिक उत्पादकता–0163– व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष	51.57	0.00	51.57	15.00
22.	2852–उद्योग 80– सामान्य–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0102– इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	16.00	0.00	16.00	0.00
23.	3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाऐं–00–090–सचिवालय–0001– उद्योग विभाग	4.37	2.00	6.37	0.25
24.	4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास–050–भूमि–0101– औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	1.00	0.00	1.00	0.00
योग		**531.09**	**13.27**	**544.36**	**42.55**

(नोटः अभ्यर्पित राशि के कॉलम में शून्य सैकड़ों एवं हजार को प्रदर्शित करता है)
(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे वर्ष 2018-19 और विभाग का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट–2.28

(संदर्भः कंडिका 2.9; पृष्ठ 43)

महालेखाकार (ले0एवं हक0) तथा विभागीय व्यय के आँकड़ें के बीच भिन्नता (अनुदान संख्या 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले0एवं हक0) द्वारा लेखांकित आँकड़ें	विभागीय व्यय के आँकड़ें	अन्तर (3)–(4)=5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–102–लघु उद्योग– 0001– प्रदर्शन केन्द्र	21.64	21.61	0.03
2.	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–107–रेशम उत्पादन उद्योग–0001– रेशम उद्योग का विकास	6.30	6.32	(-)0.02
3.	2852–उद्योग 80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–0002–निदेशन	27.59	29.59	(-)2.00
4.	2852–उद्योग 80–सामान्य 003–औद्योगिक शिक्षा– अनुसंधान तथा प्रशिक्षण–0001–शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र	1.44	1.47	(-)0.03
5.	3451–सचिवालय–आर्थिक सेवाऐं–00–090– सचिवालय – 0001– उद्योग विभाग	5.60	5.61	(-)0.01
योग		**62.57**	**64.60**	**(-)2.03**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखे एवं विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना)

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 46)

विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते

क्रम सं0	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं0
(1)	(2)	(3)
1	अररिया	1
2	औरंगाबाद	2
3	बगहा	1
4	बाँका	3
5	बाढ़	1
6	बारसोई	1
7	बेगूसराय	5
8	बेनीपुर	1
9	बेतिया	3
10	भागलपुर	2
11	भोजपुर	2
12	बीरपुर	1
13	बक्सर	2
14	दानापुर	2
15	दरभंगा	2
16	दाऊदनगर	1
17	फारबिसगंज	1
18	जमुई	3
19	जहानाबाद	2
20	झंझारपुर	2
21	कैमूर	1
22	कटिहार	4
23	खगड़िया	1
24	किशनगंज	1
25	लखीसराय	3
26	मधेपुरा	1
27	मधुबनी	3
28	मोतिहारी	1
29	मुंगेर	2
30	मुजफ्फरपुर	1
31	नालंदा	1
32	नरकटियागंज	1
33	नवादा	4
34	निर्मली	1
35	पटना	2
36	पटना सिटी	1
37	रोहतास	4
38	सहरसा	3
39	सारण	2
40	शेखपुरा	3
41	शिवहर	2
42	शेरघाटी	1
43	सीतामढ़ी	4
44	सिवान	4
45	सुपौल	1
46	तेघड़ा	1
47	वैशाली	4
योग		**95**

(स्रोतः वित्त लेखे 2018–19)

परिशिष्ट–3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 50)

लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0029	भू–राजस्व	476.80	307.78	64.55
2.	0041	वाहन कर	2,085.94	658.53	31.57
3.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1,371.94	261.57	19.07
4.	0059	लोक निर्माण	25.39	25.39	100.00
5.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	46.80	35.43	75.71
6.	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.85	4.77	25.31
7.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	66.61	33.05	49.62
8.	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	11.41	1.51	13.23
9.	0220	सूचना एवं प्रसार	0.30	0.16	53.33
10.	0230	श्रम एवं रोजगार	14.89	12.41	83.34
11.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.08	0.09	112.50#
12.	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.05	0.05	100.00
13.	0401	फसल कृषि कर्म	14.99	6.89	45.96
14.	0405	मत्स्य	13.17	1.38	10.48
15.	0506	भूमि सुधार	0.28	0.28	100.00
16.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	62.37	44.42	71.22
17.	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.06	0.05	83.33
18.	0852	उद्योग	0.13	0.13	100.00
19.	1053	नागर विमानन	6.70	6.50	97.01
20.	1054	सड़क एवं सेतु	118.06	35.20	29.82
21.	1452	पर्यटन	1.75	1.75	100.00
22.	1456	सिविल पूर्ति	0.11	0.11	100.00

(₹0.01 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। अतः प्रतिशतता 100 से अधिक है।)

(स्रोतः वित्त लेखे 2018–19)

परिशिष्ट–3.3

(संदर्भः कंडिका 3.3; पृष्ठ 50)

लघु शीर्ष 800–'अन्य व्यय' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	4.55	5.04	110.77#
2.	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	314.77	111.18	35.32

(₹0.49 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। अतः प्रतिशतता 100 से अधिक है।)
(स्रोतः वित्त लेखे 2018-19)

परिशिष्ट–3.4

(संदर्भः कंडिका 3.5.1 एवं 3.5.2; पृष्ठ 51 एंव 52)

30.09.2019 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा0क्षे0उ0) बकाए लेखे बिहार सरकार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं0
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) कार्यशील कम्पनियाँ			
1 से 5 वर्ष			
1.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
2.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1
3.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
4.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
5.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
6.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
7.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
8.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	1
9.	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
10.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17 से 2018-19	3
11.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
12.	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2016-17 से 2018-19	3
13.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1
14.	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
15.	बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
16.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
17.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
18.	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 से 2018-19	2
19.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 से 2018-19	2
20.	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2018-19	1
21.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17 से 2018-19	3
22.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	1
23.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	1
24.	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	2017-18 से 2018-19	2
	कुल		**45**
5 से 10 वर्ष			
1.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2011-12 से 2018-19	8
2.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2010-11 से 2018-19	9
3.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2014-15 से 2018-19	5

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं0
कुल			**22**
10 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2005-06 से 2018-19	14
2.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2003-04 से 2018-19	16
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2018-19	21
कुल			**51**
कुल (अ)			**118**
(ब) (कार्यशील) सांविधिक निगम			
5 वर्ष से कम			
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2018-19	1
5 से 10 वर्ष			
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2013-14 से 2018-19	6
10 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2008-09 से 2018-19	11
कुल (ब)			**18**
कुल (अ + ब)			**136**
(स) अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
5 वर्ष से कम			
1.	बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	**1**
2.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015-16 से 2018-19	4
कुल			**9**
5 से 10 वर्ष			
1.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2018-19	10
कुल			**10**
10 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
2.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2018-19	42
3.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2018-19	32
4.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2018-19	31
5.	बिहार मक्का प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35
6.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
7.	विश्वामित्र कागज उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2018-19	34
8.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
9.	झंझारपुर कागज उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
10.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35

क्रम सं0	सा0क्षे0उ0 का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं0
11.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2018-19	29
12.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2018-19	28
13.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
14.	मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35
15.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	1.3.1988 से 2018-19	32
16.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2018-19	30
17.	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2018-19	32
18.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2018-19	16
19.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2018-19	36
20.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2018-19	34
21.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2018-19	34
22.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2018-19	40
23.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2018-19	38
24.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2018-19	35
25.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2018-19	33
26.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, खगौल लिमिटेड	1993-94 to 2018-19	26
27.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, डेहरी लिमिटेड	1993-94 से 2018-19	26
28.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, आरा लिमिटेड	1993-94 to 2018-19	26
29.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2018-19	26
30.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2018-19	26
31.	स्काडा एग्रो वानिकी कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2018-19	26
32.	बिहार राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड	1998-99 से 2018-19	21
33.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2018-19	26
34.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2018-19	18
35.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2018-19	18
कुल			**1,065**
कुल (स)			**1,084**
कुल (अ + ब + स)			**1,168**

(स्रोतः सा0क्षे0उ0 के वार्षिक लेखे के अंतिमीकरण)

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भः कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 52)

उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे 2018–19 तक बकाया हैं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	सा0 क्षे0 उ0 का नाम	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जब लेखे बकाया हैं।							
		अंश	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजीगत परिव्यय	अन्य	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं	बकाये लेखों की संख्या
	(अ) कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	148.84	0	148.84	2018-19	1
2.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	4.80	0	4.8	2016-17	2
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	5.23	0	5.23	2015-16	4
4.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	118.00	0	118	2018-19	1
5.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	0	30.00	157.47	0	0	187.47	2018-19	1
6.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	9.50	492.00	0	8.00	0	509.5	2018-19	1
7.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	6.19	7.00	30.00	165.00	0	208.19	2014-15	5
8.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0	2.28	0	105.39	8.66	116.33	2005-06	4
9.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	20.74	7.49	15.39	0	0	43.62	1998-99	21
10.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0	1,114.81	1,435.25	0	2,135.15	4,685.21	2003-04	16
11.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2,176.10	6.47	673.60	1,669.39	2,053.00	6,578.56	2018-19	1
12.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2,069.61	13.83	1,170.16	0	2,636.07	5,889.67	2018-19	1
13.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	4,932.48	100.00	0	0	0	5,032.48	2018-19	1

क्रम सं0	सा0 क्षे0 उ0 का नाम	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जब लेखे बकाया हैं।							
		अंश	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजीगत परिव्यय	अन्य	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं	बकाये लेखों की संख्या
14.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	0	2,850.00	0	0	2,850.50	2018-19	1
15.	बिहार स्टेट पावर ट्राँसमिशन कम्पनी लिमिटेड	972.49	0	0	0	0	972.49	2018-19	1
16.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	0	57.59	243.34	0	0	300.93	2011-12	8
	कुल (अ)	**10,187.11**	**1,831.47**	**6,575.21**	**2,224.65**	**6,832.88**	**2,7651.32**		
	(ब) कार्यशील सांविधिक कम्पनियाँ								
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0	0	178.00	31.17	0	209.17	2013-14	6
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0	775.01	0	143.04	882.81	1,800.86	2009-10	10
	कुल (ब)	**0**	**775.01**	**178**	**174.21**	**882.81**	**2,010.03**		
	कुल (अ+ब)	**10,187.11**	**2,606.48**	**6,753.21**	**2,398.86**	**7,715.69**	**29,661.35**		
	(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0	0.26	0	7.14	1993-94	26
2.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0	2.28	0	0	0	2.28	2003-04	16
3.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0	0	128.66	505.19	1985-86	34
4.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0	1.00	0	0	0	1	2015-16	4
5.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	11.00	13.84	24.84	2001-02	18
6.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.80	2.74	0	0	0	8.54	1988-89	31
7.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0	0	55.41	79.41	1983-84	36

क्रम सं0	सा0 क्षे0 उ0 का नाम	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूति जब लेखे बकाया हैं।							
		अंश	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजीगत परिव्यय	अन्य	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं	बकाये लेखों की संख्या
8.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0	0	0	159.33	1979-80	40
9.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	0.25	0	0	0.48	4.45	1984-85	35
10.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	6.30	0	0	0	19.22	1986-87	33
11.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0	2.34	0	0	0	2.34	2001-02	18
12.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	6.09	0	0	0	6.09	1977-78	42
	कुल (स)	**45.12**	**565.06**	**0**	**11.26**	**198.39**	**819.83**		
	कुल (अ+ब+स)	**10,232.23**	**3,171.54**	**6,753.21**	**2,410.12**	**7,914.08**	**3,0481.18**		

(स्रोतः सा0क्षे0उ0 के वार्षिक लेखे के अंतिमीकरण)

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भः कंडिका 3.6; पृष्ठ 52)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभाग–वार राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	112	1,698.96
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	55	148.50
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	76	10.87
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	33	920.84
5	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	8	123.61
6	सहकारिता विभाग	31	186.51
7	आपदा प्रबंधन विभाग	230	2,028.70
8	शिक्षा विभाग	436	14,864.16
9	ऊर्जा विभाग	31	444.80
10	पर्यावरण एवं वन विभाग	2	8.34
11	वित्त विभाग	31	287.15
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	10.81
13	सामान्य प्रशासन विभाग	15	230.50
14	स्वास्थ्य विभाग	6	328.78
15	गृह (जेल) विभाग	2	0.06
16	गृह (विशेष) विभाग	14	7.82
17	उद्योग विभाग	24	46.97
18	सूचना प्रावैद्यिकी विभाग	18	46.42
19	श्रम संसाधन विभाग	27	39.59
20	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	18	28.21
21	विधि विभाग	1	4.24
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	14	7.40
23	पंचायती राज विभाग	265	13,073.14
24	योजना एवं विकास विभाग	9	1,006.34
25	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	4	3.21
26	ग्रामीण विकास विभाग	75	6,579.49
27	ग्रामीण (कार्य) विभाग	7	12.54
28	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	104	2,035.36
29	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	7	3.91
30	समाज कल्याण विभाग	140	4,512.65
31	गन्ना विभाग	16	147.34
32	पर्यटन विभाग	1	0.40
33	नगर विकास विभाग	622	6,412.02
34	जल संसाधन विभाग	18	145.45
योग		**2453**	**55,405.09**

(स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित आंकड़े)

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भः कंडिका 3.8, पृष्ठ 56)

सरकारी कम्पनियों एंव सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2019 को अंश, ऋण एंव प्रत्याभूति में अंतर

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	0	0	2.28	31.9	0	0	31.9	0
2.	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
3.	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	17.14	26.8	0	27.35	20.47	0	10.21	6.33	0
4.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0	16.31	23.36	0	15.39	1.88	0	0.92
5.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	36.95	5.6	0	48.08	5.6	30	11.13	0	30
6.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1	0.48	0	1	0.5	0	0	0.02	0
7.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	9.5	492	0	9.5	492	0
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.15	0	0	0.1	0	0	10.05	0	0
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	5	0	0
11.	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	5	0	0
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0

क्रम सं0	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ										
14.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
15.	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
16.	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
17.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5.65	6.24	0	25	0	0	19.35	6.24	0
18.	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	0	0	0	5	0	0	5	0	0
19.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	102.02	388.74	0	99.04	238.35	243.34	2.98	150.39	243.34
20.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	26,571.57	1,464.26	0	35,133.90	438.5	0	8,562.33	1,025.76	0
21.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	10	2,552.33	0	0	0	0	10	2,552.33
22.	बिहार स्टेट पावर ट्रांस्मिशन कम्पनी लिमिटेड	0	15	0	0	388.47	0	0	373.47	0
23.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	226.26	481.1	0	253.11	1,480.79	0	26.85	999.69
24.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	105.42	683.83	0	43.69	1,540.34	0	61.73	856.51
25.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0	0	5	0	0	0.84	0	0
26.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	1,008.27	5.27	2,180.48	1,435.25	5.25	739.77	426.98
27.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	50	0	0	6.74	0	0	43.26	0	0
28.	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	0.34	0	0	0.34	0	0
29.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0	0	0.36	0	0	0.24	0	0
30.	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	0	0	0.05	3.6	0	2.95	3.6	0
कुल (अ)		**26,889.04**	**3,689.51**	**4,741.84**	**35,466.02**	**4,096.67**	**4,745.11**	**8,695.46**	**2,928.06**	**5,109.77**

क्रम सं0	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम										
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	28.09	213.97	127.47	39.95	228.47	0	11.86	14.5	127.47
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	0	0	74.76	0	0	6.98	0	0
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.8	0	164.04	3.21	0	178	2.41	0	13.96
कुल (ब)		**110.63**	**213.97**	**291.51**	**117.92**	**228.47**	**178**	**21.25**	**14.5**	**141.43**
कुल (अ+ब)		**26,996.67**	**3,903.48**	**5,033.35**	**35,583.94**	**4,325.14**	**4,923.11**	**8,716.71**	**2,942.56**	**5,251.20**
(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.66	0	3.7	2.6	0	1.95	0.06	0
2.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.58	0	0	0	0	0	0.58	0	0
3.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	14.57	0	10	49.68	0	2.19	35.11	0
4.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	0	1.95	0	6.72	0	0	6.72	1.95	0
5.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.5	0	10.82	8.55	0	0.88	5.05	0
6.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	1.95	0	7.57	30.98	0	2.63	29.03	0
7.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0	1.61	0.42	0	0.03	22.7	0
8.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0	0	2.01	0	0	1.03	0	0
9.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0	10	1.16	0	1.42	0.15	0
10.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0	7.18	10.4	0	6.55	5.99	0
11.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	8.18	81.95	0	14.04	66.54	0	5.86	15.41	0

क्रम सं0	सरकारी कंपनियों के नाम	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			अंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
12.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.9	3.3	0	7	3.38	0	2.1	0.08	0
13.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	23.72	0	0	9.97	0	0	13.75	0	0
14.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.2	0.01	0	0.2	0	0	0	0.01	0
15.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20	0	0	20	322.95	0	0	322.95	0
16.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0.03	0	0	0.03	0
17.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0	15.78	4.25	0	6.21	8.1	0
18.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	0	0	1.25	0	1.28	0	0	1.28	1.25
19.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0	10.78	2.27	0	5.03	0.18	0
20.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.94	0	2	1.22	0	0.27	0.28	0
21.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.41	0	1.75	0	0	0.44	3.41	0
22.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0
23.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0	0	0	0	9.18	0	0	9.18	0
24.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.27	0	17.4	12.43	0	6.97	0.84	0
25.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	0	0	0	6.09	0	0	6.09	0
कुल (स)		**141.34**	**171.16**	**1.25**	**158.53**	**533.41**	**0**	**64.61**	**467.89**	**1.25**
कुल (अ+ब+स)		**27,141.01**	**4,074.64**	**5,034.60**	**35,742.52**	**4,858.55**	**4,923.11**	**8,781.32**	**3,410.45**	**5,252.45**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2018–19 तथा सा०क्षे०उ० प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना)